कुरुक्षेत्र

अप्रैल 1977 मूल्य : 50 पैसे

चित्र : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सौजन्य से

श्रमदान से चार किलोमीटर लम्बी नहर का निर्माण

केरल में अदूर के समीप स्थित एक छोटे से गांव मनक्कला ने 'जन शक्ति नगर' के रूप में एक बड़ा नाम पा लिया है। इस गांव में केरल की जनता की दृढ़ इच्छा-शक्ति तथा कठिन परिश्रम को शानदार रूप में देखा जा सकता है। दिसम्बर, 27, 1976 से यहां के लोगों ने लगभग चार किलोमीटर लम्बी सिंचाई नहर को पूरा करने के लिए श्री के. जी. आडियोडी, सिंचाई मंत्री केरल के नेतृत्व में कार्य आरंभ कर दिया था। मिली जुली सरकार के साथ राजनीतिक दलों ने इस साहसिक कार्य में भाग लिया। कल्लादा परियोजना से खेती के काम में स्थिरता आएगी और साथ ही क्विलन तथा अलेपी जिलों में 52,000 हैक्टेयर भूमि में दूसरी फसल भी ली जा सकेगी। प्रति वर्ष 2,13,000 टन धान की अतिरिक्त उपज का अनुमान किया जा रहा है। परियोजना के जलाशय से मत्स्य विकास में भी सहायता मिलेगी। इस परियोजना को शुरू हुए 14 वर्ष से भी अधिक हो गए और 10 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि इस परियोजना पर खर्च की जा चुकी है।

एन० केशवदास नायर

राज्य के समस्त राजनीतिक दल, युवा संगठन तथा स्वैच्छिक निकायों ने इस कार्य में बड़े उत्साह से भाग लिया।

दलों से सम्बन्ध रखने वाले जो कार्यकर्ता सड़कों और गलियों में अपने अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग करते हुए इधर-उधर घूमा करते थे, वे फावड़ों, कुदालों, कुल्हाड़ियों तथा अन्य उपकरणों को लेकर जनशक्ति नगर की तरफ चल पड़े, ताकि कल्लादा परियोजना को जल्दी पूरा किया जा सके। लगभग 2000 स्वैच्छिक कार्यकर्ता इस साहसिक कार्य में भाग लेने आ रहे हैं। यह अनुमान है कि एक लाख 5 हजार क्यूबिक मीटर भूमि-कार्य में एक लाख पचहत्तर हजार कार्य दिवसों की आवश्यकता है। स्वैच्छिक श्रमदान का पहले से ही इस कार्य के लिए आश्वासन मिल चुका है। सरकार की ओर से आवास तथा चिकित्सा की सुविधाएं स्वैच्छिक कार्य-कर्ताओं को दी जा रही हैं।

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत 5 करोड़ की राशि के लिए एक अन्य अभियान भी यहां शुरू किया गया है

★ सूचना अधिकारी, त्रिवेन्द्रम।

—अनु० राकेश पाठक,
ए/339, सूर्यनगर,
पो०—चिकम्बरपुर,
जिला—गाजियाबाद (उ० प्र०)

‘कुरुक्षेत्र’ के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार ‘कुरुक्षेत्र’ के दो ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

‘कुरुक्षेत्र’ की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनाने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक ‘कुरुक्षेत्र’ (हिन्दी), कृषि मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे ● वार्षिक चन्दा 5.00 रुपये

सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह

उपसम्पादक : पारसनाथ तिवारी, शशि चावला

आवरण पृष्ठ : जीवन अडालजा

कुरुक्षेत्र

वर्ष 22 चैत्र 1899 अंक 6

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

श्रमदान से चार किलोमीटर लम्बी नहर का निर्माण	आवरण II
एन० केशव दास नायर	
ग्राम-आधारित उद्योग और ग्राम-विकास	3
जीवन दत्त	
राष्ट्रीय आय में वृद्धि	5
ललितेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव	
अनाज का रिकार्ड उत्पादन	7
प्रफुल्लचन्द्र पाठक	
कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकान	9
रवि दिवाकर	
ग्रामीण-विकास में शिक्षा का योगदान	11
देवीरानी	
बंधक मजदूरी की समाप्ति	12
मदन मोहन जोशी	
मत्स्य संवर्धन के बढ़ते चरण	14
वी० आर० पी० सिन्हा	
गांवों में चिकित्सा करने के मेरे संस्मरण	15
वी० बी० लाल	
राष्ट्र निर्माण में युवकों की भूमिका	16
मुद्रास्फीति की रोकथाम	18
एस० सेतुरमण	
आस्तीन के सांप (कविता)	19
रामप्रकाश राही	
यह भारत वर्ष है	19
वेद व्यास	
मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण	20
दुःखद स्वप्न	22
एल० जी० भाटिया	
नौकरी का प्रस्ताव	23
रामकृष्ण सुधाकर	
बंधुआ मजदूरों में आशा और विश्वास जागा	24
श्रम ही जादू	25
दुर्गाशंकर त्रिवेदी	
दहेज (कविता)	26
महाराज	
पहला सुख निरोगी काया : ‘घरेलू इलाज’	27
वैद्य गोपाल सहाय शर्मा	
दहेज प्रथा का उन्मूलन कैसे हो ?	28
जगदीश कौशिक	
साहित्य समीक्षा	30
केन्द्र के समाचार	32
राज्यों के समाचार	34

सम्पादकीय

गांवों के कायाकल्प की दिशा में नया कदम

जब हमारे योजनाकारों को यह पता चला कि गांवों के लोगों के सर्वाङ्गीण विकास के लिए सरकार की ओर से जो साधन-सुविधाएं जुटाई गईं उनका समुचित लाभ गांवों के गरीबों को नहीं मिल पाया और देश के अनेक पिछड़े क्षेत्र इनके लाभों से वंचित रहे तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों के कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने तथा विकास-सुविधाओं के सन्दर्भ में क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय योजना में अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। इनमें कमजोर वर्गों का कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास योजनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कमजोर वर्ग के कार्यक्रम के अधीन जिन क्षेत्रों में लघु किसान विकास एजेंसी तथा सीमान्त किसान और कृषि श्रमिक एजेंसी कार्यक्रम चालू हैं वहां इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभों से छोटे किसान, सीमान्त किसान खेतिहर मजदूर तथा गांवों के भूमिहीन गरीब लोगों को काफी राहत मिली है और उनमें अब अपने भविष्य के प्रति आशा और विश्वास जागा है।

हमारे विकास कार्यक्रम के आगे सबसे बड़ी समस्या यह है कि विकासजन्य लाभों को समुचित रूप से किस तरह वितरित किया जाए। यही सोचकर राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वयन के लिए समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की सिफारिश की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गांवों में आय की असमानताओं को कम करके और रोजगार के अवसरों को बढ़ा कर सामाजिक न्याय प्राप्त कराना है। इस सन्दर्भ में 8 मई, 1975 को नई दिल्ली में राज्यों के ग्रामीण विकास के मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें समन्वित ग्राम विकास की अवधारणा को सहमति दी गई। सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था कि समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढ़ाने तथा गांवों में बेरोजगारी दूर करने से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों में ताल मेल बिठाया जाए।

सम्मेलन का निष्कर्ष यह था कि समन्वित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खेती और खेती से सम्बन्धित कार्यों पर अधिक बल दिया जाए और लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमान्त किसान और कृषि श्रमिक एजेंसी-कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमान क्षेत्र परियोजनाओं में आवश्यक फेर बदल करके उन्हें समन्वित ग्रामीण विकास की अवधारणा के अनुरूप बनाया जाए। अतः अब यह बात मान ली गई है कि देश के कमजोर वर्गों के लिए जितने विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जितने अभी चलाए जाने वाले हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए क्योंकि गांवों के गरीबों की हालत तभी सुधर सकती है जबकि उनको दी जाने वाली साधन-सुविधाएं एक भरेपूरे कार्यक्रम में समेकित हों और सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रख कर उनमें ताल मेल कायम हो।

हमारे विकास के कर्णधारों के विचारों में अब एक नया मोड़ आया है और अब वे यह सोचने लगे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को गांवों में पहुचाएं बिना गांवों और गांवों के गरीबों का समुचित विकास नहीं हो सकता क्योंकि विश्व के विकसित देशों का यह अनुभव रहा है कि विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बड़े शहर और बड़े तथा समृद्ध हुए हैं जबकि गांवों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं आ पाया है। शायद इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास कुछ इस प्रकार हुआ कि भारी मशीनों और कल-कारखानों की स्थापना को प्राथमिकता दी गई। परन्तु हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है और हमारे गांवों का समुचित विकास तभी हो सकता है जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहारे कृषि और गांवों के उद्योग-धंधो में क्रान्ति लाई जाए। इस सन्दर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के निदेशक डा० स्वामीनाथन का प्रयास सराहनीय है और उन्होंने जनवरी, 1976 में अ० भा० विज्ञान कांग्रेस के 63 वें अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में ऐसे विचार प्रस्तुत किए जिनसे गांवों का कायाकल्प हो सकता है। इसके उपरान्त, मार्च, 1976 में लोक सभा के बजट अधिवेशन में ग्राम विकास की एक विस्तृत योजना पेश की गई थी और इस योजना के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने एक कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की है। इस रूपरेखा के अनुसार कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी केजरिए उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का सही-सही उपयोग करके गांवों के गरीबों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना और गांवों में खुशहाली बढ़ाना है। समन्वित ग्रामीण विकास के लिए देश भर में फिलहाल 20 जिले चुने गए हैं। इन जिलों के लिए साधन और कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी कृषि अनुसंधान परिषद् को सौंपी गई है।

महेन्द्रपाल सिंह

ग्राम आधारित उद्योग और ग्राम-विकास ★ —जीवन दत्त*

भारत में ग्रामीण विकास कार्य थोड़ी-सी स्वैच्छिक एजेन्सियों और थोड़े से औद्योगिक घरानों द्वारा चलाया जा रहा है, जिन्होंने एक चुने हुए ग्रामीण क्षेत्र या इर्द-गिर्द के ग्रामों में विकास कार्यक्रम का बीड़ा उठा रखा है। अभी तक ग्रामीण विकास का क्षेत्र सीमित रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योग कृषि मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की सहायता से ग्रामीण विकास कार्य में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक कारखाने बड़े-बड़े नगरों में बाहर अर्थात् गांवों के निकट स्थापित हैं। यद्यपि उद्योगों में लगे 80 प्रतिशत श्रमिक चार-पांच मील की परिधि में बसे गांवों से आते हैं तथापि इर्द-गिर्द के इन ग्रामों की गंदगी और गरीबी से लड़ने और इन्हें कम करने में इनका योगदान नगण्य रहा है।

यह सही है कि इन श्रमिकों को भुगतान किया गया है और किसानों से बने मजदूरों ने अत्यधिक लोगों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में सहयोग दिया है, फिर भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मात्र पैसों में दिए जाने वाले पारिश्रमिक से कहीं अधिक उद्योगों को आस-पास के क्षेत्रों को कुछ स्थायीरूप से उन्नत करने का दायित्व निभाना है।

ग्रामीण जीवन के रहन-सहन और और काम की शर्तों को सुधारने का एक मात्र रास्ता कठिन परिश्रम है। यह ठीक है कि उद्योग श्रमिकों के लिए आधुनिक ढंग की बस्तियों का निर्माण कर मकानों और पानी, बिजली, विद्यालय, खेल के मैदान, क्लब आदि की सुविधाएं प्रदान करता है, पर यदि कुछ राशि और ध्यान स्वयं उन गांवों के रहन-सहन के स्तर को उन्नत करने में लगा दिया जाए तो उद्योग पास-पड़ोस के जनसमुदाय के प्रति अपने चिर-प्रतीक्षित दायित्व को पूरा कर सकेगा।

स्वयं उद्योग के हित की दृष्टि से यह उचित है कि श्रमिक को अनुकूल एवं लोकप्रिय ग्रामीण परिस्थितियों में अच्छे मकान, पानी की व्यवस्था आदि सुलभ की जाएं। इससे श्रमिक अपनी भूमि के समीप रहकर प्राकृतिक जीवन पद्धति पर चल सकेगा। और इस प्रकार वह किसान की उस हृष्ट-पुष्ट संस्कृति के मध्य रह सकेगा जिसका वह अभ्यस्त है। वह अपनी खेती-बाड़ी, मवेशी, घर और कई ऐसे लघु-उद्योगों में, जिसमें पास-पड़ोस में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपयोग हो सके, अपना समय और ध्यान लगा सकेगा। साधन, सम्पन्नता और स्वावलम्बन उसके लिए विकास के अवसर प्रदान करेंगे। वह अधिक सुखी और अधिक संतुष्ट होकर रह सकेगा। उदासी, जो आज औद्योगिक श्रमिक के जीवन का अंग बन गई है, बहुत कुछ मात्रा में मिट जाएगी। अगर औद्योगिक श्रमिक को संतोषजनक ग्रामीण वातावरण में रहने-सहने और अपना समय व्यतीत करने का अवसर दिया जाए तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अधिक लाभकर होगा।

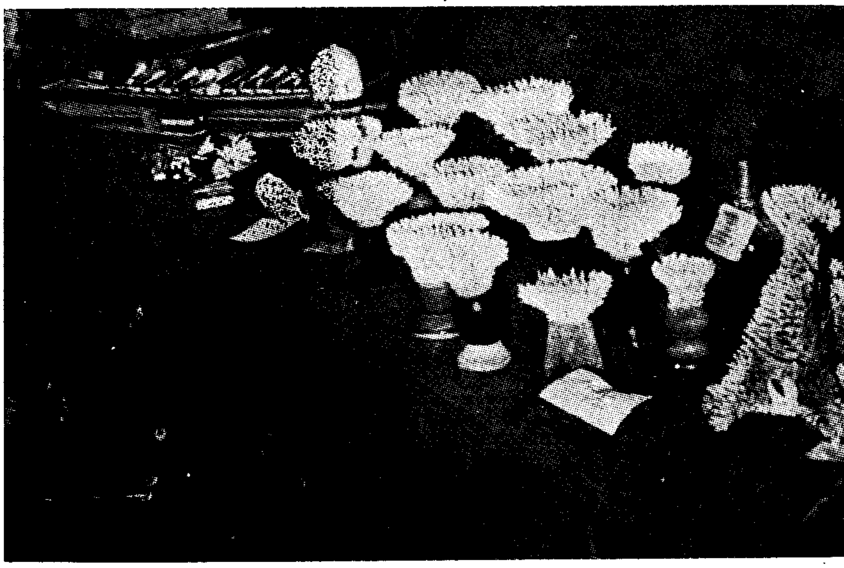

लक्ष्यद्वीप की जनजातिओं की कारीगरी

एक और लाभ भी है। आज औद्योगिक श्रमिक का सबसे बड़ा भय सुरक्षा की कमी है। देर सवेर उसे अवकाश ग्रहण करना है और कारखानों द्वारा उपलब्ध कराया गया अपेक्षाकृत अधिक आराम दायक मकान एवं वातावरण छोड़ना है। कारखाने के शिविर में बीते समृद्ध और नियमित जीवन की तुलना में गांव की परिस्थितियां आकाश-पाताल का अन्तर लिए होती हैं। अतः यह एक लाभ ही होगा, अगर कारखानों में काम करते समय श्रमिक गांव में ही रहता रहे। वह जानता है कि अवकाश लेने पर वह अपनी खेती और जमीन, जिससे उसने उद्योग में काम करते हुए सम्पर्क बनाए रखा था, गांव को वापिस जा सकेगा। अब चूंकि वह सारा समय उस पर लगा सकेगा, इसलिए उसे पता होता है कि कैसे काम करना है और कैसे प्रगति लाई जा सकती है।

उपरोक्त धारणा का उद्देश्य उद्योग के इर्द-गिर्द बसे उन गांवों के आम जीवन और आर्थिक स्थिति में बहुमुखी प्रगति लाना है, जिनसे अधिकतर श्रमिक लिए

जाते हैं, मूल उद्देश्य है श्रमिक की, उसके निजी वातावरण में, दशा सुधारना। कहना न होगा कि यह योजना अधिकाधिक 'स्वयं की सहायता करो, के आधार पर चलनी चाहिए। प्रगति के लिए अधिकतर कार्य कलापों और खर्चे की मदों का भार मुख्यत : स्वयं ग्राम वासियों, यातो स्वयं उनके अंशदान जो नकद और स्वैच्छिक श्रम दोनों हो सकते है या बड़ी परियोजनाओं के ऋण, द्वारा झेला जाना चाहिए। उद्योग ग्रामीणों के प्रयत्नों के पूरक के रूप में कार्य करेगा ओर परियोजना के विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट परामर्श देगा।

इस कार्य में उद्योग के प्रबन्धकों की ग्रामीणों के साथ जान-पहचान जरूरी है। इसके बिना इन लोगों के सरल मन में उत्साह और विश्वास नहीं जगाया जा सकता। उसके साथ ही एक हानिकर भावना यह है कि ग्रामीण को सब कुछ किया कराया मिलेगा जिसे दृढ़तापूर्वक त्यागना होगा। थोड़े से आदर्श मकानों का निर्माण या थोड़े से कुंए खुदवाना अथवा ग्रामीणों को उनकी इच्छानुसार खर्च करने के लिए कुछ धन राशि देने से कोई भी समृद्ध ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता। मुट्ठी भर धन राशि दे देने का अर्थ उनके आत्म-सम्मान को नष्ट कर देना है। अतः प्रगति के लिए उत्साह, प्रांरभिक अवस्था के पश्चात् स्वयं ग्रामीणों की तरफ से आना चाहिए। इस व्यवस्था की प्रगति स्वयं-की सहायता करो' के आधार पर होनी चाहिए, उद्योग का कार्य तो दिशा-निर्देशन, सहायता और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कर्मचारी और विशिष्ट परामर्श देना है।

एशोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनीज ने कारखानों के इर्द-गिर्द गांवों में उपरोक्त प्रयोग को क्रियान्वित किया है और अभी तक प्राप्त परिणाम बहुत उत्साह वर्द्धक रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सीमेंट के कारखानों के इर्द-गिर्द साफ-सुथरे और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उद्योगों के चारों तरफ स्वस्थ एवं समृद्ध गांवों का होना, स्वयं सीमेन्ट उद्योग और ग्रामवासियों की भावी समृद्धि के लिए जरूरी है। यह व्यवस्था लगभग तेईस वर्ष पूर्व एक कारखाने में प्रारम्भ की गई थी और अब देश के विभिन्नभागों में बारह केन्द्रों में क्रियान्वित हो रही है।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रत्येक ग्रामीण खण्ड ने सम्बन्धित क्षेत्रों में अनुभव की गई आवश्यकताओं के आधार पर अपने कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है। संक्षेप में, उनकी आम नीति के अंतर्गत ये बातें आती हैं : (1) कृषि विकास, (2) संचार साधनों का विकास (3) स्वच्छता और स्वास्थ्य (4) लघु उद्योग (5) समाज शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियां (जैसे नाटक, ग्रामीण विकास समितियां, भजन-मंडलियां, बाल-मन्दिर, प्रौढ़ शिक्षा की रात्रि कक्षाएं, खेल-कूद के लिए क्लब, (6) पशु कल्याण (7) अच्छे किस्म के मकान और (8) ऐसी ही दूसरी मदें जिनको लोग चाहते हैं।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत 200 गांव आते हैं जिनकी कुल जनसंख्या 2 लाख के लगभग है। प्रत्येक केन्द्र में एक कृषि अधिकारी, एक ओवरसियर या राज और ग्रामीण विकास कार्य के लिए अलग से नियुक्त एक या दो ग्राम सेवक होते हैं। आठ प्रदर्शन कृषि क्षेत्र हैं जहां किसानों के लिए खेती से पैदावार बढ़ाने की दृष्टि से कृषि के नए तौर, तरीकों का प्रदर्शन किया जाता है।

21 वर्षों के दौरान 255 लाख रुपए की लागत से लगभग 10,000 इकाइयों (यूनिट्स) का निर्माण किया गया है। उनमें 2000 सिंचाई और पीने के पानी के कुएं, 365 मवेशी घर और चारा खिलाने की बड़ी नांद, 212 खाद के गड्डे, 2000 नए मकान, 150 सड़कों का विकास, 411 पूजा स्थल और 257 स्कूल की इमारतें सम्मिलित हैं। इन कार्यक्रमों में गौबर गैस संयंत्र (40 प्रार्थना पत्रों पर अभी निर्णय होना है) दुर्भिक्ष सहायता कार्य, बाढ़ सहायता, लघु उद्योग जैसे बोरी मरम्मत, योजना, सहकारी दुग्ध समिति, कृषि उपकरणों को उधार देना इत्यादि भी सम्मिलित हैं। बोरी मरम्मत कार्य में योजना के अन्तर्गत आने वाले गांवों के लगभग 350 बूढ़े, शरीर से पंगु व्यक्ति, विधवाएं और अन्य दूसरे योग्य व्यक्तियों को नियुक्ति मिली है। आय का एक अंश ग्रामीण-कल्याण कोष में जाता है। इस कोष में कुल रकम 1.50 लाख हो गई है जिसमें से 1,00,000 रुपए हरिजनों के लिए कुएं, स्कूल की इमारतों, मंदिरों, समाज केन्द्रों आदि पर खर्च हुआ है। दुग्ध समिति ने जो कैड़ा जिले में गांव तक सीमित है, एक लाख से ऊपर रुपए का लाभ कमाया है। इस क्षेत्र में एक वर्ष में 5,000 से अधिक जानवरों का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है।

इस परियोजना में कर्मचारी एक तरफ ग्रामीणों और दूसरी तरफ ग्राम पंचायतों, समाज खण्डों, ग्रामीण उद्योग संस्थाओं और अन्य अधिकारियों के बीच कड़ी का काम करते हैं। कुल 255 रुपए की राशि में, जो विकास की विभिन्न मदों पर खर्च की गई है, 32 लाख रुपए सरकार व अन्य ऐजेन्सियों से प्राप्त अंशदान के रूप में हैं।

देश में कुल 56000 उद्योग प्रतिष्ठानों में से लगभग 4000 उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। मेरी तुच्छ राय में अगर 20% उद्योग भी अपने इर्द-गिर्द बसे 5 से 10 गांवों से इस प्रकार की परियोजनाओं से अपने आप को जोड़ लें तो इससे प्रबन्धकों, श्रमिकों और ग्रामीणों के मध्य मानव सम्बन्धों को नितान्त नया दृष्टिकोण प्राप्त हो सकेगा और कमजोर वर्गों के उत्थान में आर्थिक कार्यक्रम के उद्देश्यों के क्रियान्वयन के लिए उद्योग में एक कक्ष (सेल) का निर्माण किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में एक समन्वय समिति (कुआर्डिनेशन सेल) की स्थापना इस कार्यक्रम को दिशा निर्देश, सहायता और समन्वित करने के लिए की जा सकती है।

— अनु० नरेन्द्र डोवारियाल
सी-१/८ बी,
लारेंस रोड,
दिल्ली-११००३५.

राष्ट्रीय आय में वृद्धि

ललितेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव

हमारे देश की अर्थव्यवस्था अनेक कठिनाइओं और विपदाओं को पार कर पिछले दो वर्षों में प्रगति के पथ पर अग्रसर हुई है। कृषि प्रधान देश भारत में कृषि को वर्षों बाद प्रधानता मिली है और आर्थिक विकास पर उसकी छाप स्पष्ट दीखने लगी है। इससे राष्ट्रीय उत्पादन में ही वृद्धि नहीं हुई बल्कि आय और बचत भी बढ़ी है। हमारे गांव खुशहाली का सुख महसूस करने लगे हैं। अनाज की कमी की जगह अब देश अपने भारी भंडार का बोझा अनुभव करने लगा है।

दूसरी ओर औद्योगिक क्षमता का उपयोग इस कदर बढ़ गया है कि तैयार माल की खपत बढ़ाने की जरूरत दीखने लगी है। विदेशी मुद्रा का रिजर्व इतना बढ़ गया है कि उससे दूसरे विकासशील देशों को मदद दे सकते हैं। ये सब विकास की उपलब्धियां हैं जब उत्पादन अधिक हो तो उस की खपत बढ़ाने की जरूरत है और साधन अधिक हों, क्षमता बढ़ जाय तो उनके उपयोग की समस्या खड़ी हो जाती है। किंतु यही निरंतर विकास के आधार हैं और देश की खुशहाली के प्रेरक तत्व। अपनी सफलताओं पर कभी हमें भी ताजुब्ब होने लगता है। हालांकि आत्मतोष प्रगति निरोधक है और विकास की दर हर समय समान नहीं होती। नियोजन का उद्देश्य है प्रगति में स्थायित्व लाना और साधनों तथा क्षमता के अधिकतम उपयोग की व्यवस्था।

अनेक वर्षों के गतिरोध के बाद हमारी राष्ट्रीय आय 1975-76 में 8.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है, जबकि 1974-75 में उसकी वृद्धि की दर नगण्य थी। उस वर्ष उसमें 0.2 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी हुई, जो 1974-75 में 1.7 प्रतिशत घट गई थी।

राष्ट्रीय आय में 1975-76 के दौरान जो आकर्षक वृद्धि हुई है, उसका मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में भारी वृद्धि है। अब पता चला है कि पिछले वर्ष में 12 करोड़ दस लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। इस के पहले का रिकार्ड उत्पादन 10 करोड़ 80 लाख था। आलोच्य वर्ष में पूंजी निर्माण की ऊंची दर का मुख्य कारण भी सार्वजनिक क्षेत्र में अनाज का विशाल भंडार होना था। इससे स्पष्ट है कि उद्योगों के साथ साथ यदि हमारे देश में कृषि विकास में स्थायित्व कायम किया जा सके तो हमारी अर्थ व्यवस्था अत्यधिक सबल और प्रगतिशील बन सकेगी। इस तरह शुद्ध कृषि उत्पादन में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। योजना आयोग ने 1975-76 में 11 करोड़ 40 लाख टन खाद्यान्न का ही लक्ष्य रखा था। चालू कृषि वर्ष में इसमें कुछ कमी होने की संभावना है, तो भी इससे राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आय में बहुत अधिक गिरावट नहीं आ पाएगी। बल्कि एक हद तक इनके उतार चढ़ाव में स्थिरता आने लगी है। इससे जीवन यापन के स्तर में भी उतार चढ़ाव नियंत्रित होने लगेगा। आवश्यक जिंसों के आधिक्य से कीमतों पर नियंत्रण काफी हद तक खुद होने लग जाता है। आज देश उसी स्थिति में है, हालाकि 1976-77 में कीमतें बढ़ी हैं और रिजर्व बैंक ने मुद्रा नियंत्रण के लिए अनेक उपाय किए हैं। सरकार कर नीति के जरिए उसे काबू रखने में प्रयत्नशील है।

कृषि उत्पादन के मामले में अनिश्चिता कम करने के लिए सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जा रही है। हर साल दस लाख हेक्टेयर भूमि में मध्यम तथा दस लाख हेक्टेयर भूमि में लघु व सिंचाई से पानी उपलब्ध करने की व्यवस्था की जा रही हैं इसके अलावा, सुधरे बीज तथा उर्वरक की उपलब्धि बढ़ी है और उनकी खपत भी। उर्वरक की कीमत में पांच बार कमी की जा चुकी है। कृषि अनुसंधान का लाभ किसानों को अधिक पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इससे उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। नकदी फसलों की भी उपज बढ़ी है। इस तरह भारत में खेती को आधुनिक बनाने का सतत प्रयत्न चल रहा है, जिसका परिणाम राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में प्रकट हुआ है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने 1960-61 से लेकर 1974-75 तक पंद्रह वर्षों के राष्ट्रीय आंकड़ों के बारे में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया है। इसके साथ ही उसने 1975-76 में राष्ट्रीय आय के मोटे अनुमान प्रकाशित किए हैं। इससे अर्थव्यवस्था के बारे में उत्साहजनक चित्र सामने आता है। अर्थ व्यवस्था के मुख्य क्षेत्र कृषि, उद्योग, खनन, बिजली, परिवहन बैंकिंग व बीमा तथा रेलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस श्वेत पत्र से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था में और सुधार लाना सुगम है तथा उसकी गुंजाइश भी है। उत्पादन और आय को इस स्तर पर यदि कायम रखा जा सका तो देश की माली हालत बिलकुल ही बदल जाएगी।

पिछले दो दशकों में आर्थिक प्रगति की औसत दर चार प्रतिशत के लगभग रही है। आय में भी बहुत वृद्धि नहीं हुई। कीमतें भी बहुत बढ़ गई। इस अवधि में दो बार युद्ध और सूखा आदि संकटों का मुकाबला करना पड़ा। निश्चय ही इनका अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। अंतराष्ट्रीय मुद्रा स्थिति और कीमतों में वृद्धि से भारत अछूता न रह सका। किंतु अनेक महत्वपूर्ण उपायों से मुद्रा स्फीति नियंत्रित हो गई और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। अब तो तीव्र आर्थिक प्रगति के सभी आधार और साधन उपलब्ध हैं। इससे कृषि और औद्योगिक उत्पादन निर्यात और रोजगार में वृद्धि कार्यक्रम आसानी से लागू किए जा सकते हैं।

हमारी अर्थव्यवस्था और राजकोष की प्राप्तियों में 1975-76 में जो लाभ और सुधार हुआ उसी आधार पर 1976-77 के बजट में नये आर्थिक कार्यक्रम लागू करने के उपाय किए गए। उपलब्ध कार्यशक्ति का उत्पादन कार्यों में नियो-

जन और मूल्य स्थिरता के किसी व्याघात के बिना देश के प्राकृतिक साधनों के वैज्ञानिक प्रयोग के निमित्त परिचालन तंत्र को विकसित करने का प्रयास किया गया। बिजली, सिंचाई, उर्वरक आदि के क्षेत्र में खर्च में वृद्धि तथा राजस्व बढ़ाने के प्रयत्नों को तेज करने के साथ ही बचतों को बढ़ाने तथा मुद्रास्फीति नियंत्रित रखने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। इन उपायों से राष्ट्रीय आय और उत्पादन का विस्तार कायम रखा जा सकेगा।

औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनेक नीतिगत उपाय किए गए हैं। लाइसेंस प्रक्रिया सरल और आयात नीति उदार बना दी गई है। पूंजी विनियोजन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इससे योजना के कार्यान्वयन को बल मिला है। पांचवी योजना के चौथे वर्ष 1977-78 योजना पर 47 अरब 71 करोड़ रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई है, जो चालू वित्तीय बर्ष से 9 अरब 45 करोड़ रुपया अधिक है। इससे विभिन्न कार्यक्रमों में वृद्धि होगी तथा उत्पादन आय भी बढ़ेगी।

श्वेत पत्र के अनुसार 1960-61 के मूल्यों के अनुसार 1975-76 में शुद्ध राष्ट्रीय आय दो खरब 19 अरब 52 करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय 366 रुपये आंकी गई है। चालू मूल्यों के अनुसार 1975-76 में राष्ट्रीय आय 5 खरब दो अरब 93 करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति एक हजार पांच रुपया होती है। उपभोग व्यय, घरेलू बचत तथा पूंजी निर्माण में भी वृद्धि हुई है। चालू कीमतों के आधार पर 1975-76 में 5 खरब 65 अरब 80 करोड़ रुपये के निजी उपभोग व्यय का अनुमान है, जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 78.9 प्रतिशत पड़ता है।

घरेलू बचत की राशि 1975-76 में एक अरब 13 करोड़ रुपये रही और देश में एक खरब दस अरब 58 करोड़ रुपये की पूंजी का निर्माण हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में इसका स्तर काफी ऊंचा रहा। राष्ट्रीय आय के अनुपात से बचत 14.7 प्रतिशत तथा पूंजी निर्माण 16.2 प्रतिशत हुआ। 1975-76 में पूंजी निर्माण में ऊंची दर का मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र में अनाज का विशाल भंडार था।

रिजर्व बैंक ने भी 1975-76 की मुद्रा और वित्त संबंधी अपनी रिपोर्ट में हाल में बताया था कि 1975-76 में कृषि और औद्योगिक उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई है उससे प्रमुखतः वास्तविक राष्ट्रीय आय काफी बढ़ी है। हालांकि आय के बारे में उसके अनुमान उस समय नवीनतम नहीं थे, यह भी अंदाज नहीं था कि खाद्यान्न उत्पादन 12 करोड़ टन से अधिक हो गया है।

★

सिंचाई सुविधाएं

क्या आप जानते हैं :-

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि अधिक सिंचाई सुविधाओं के फलस्वरूप ही संभव हो सकती है।
2. इस समय बड़ी और मझोली सिंचाई योजनाओं के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं और करीब इतनी ही भूमि पर प्रतिवर्ष लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचाई की जा रही है।
3. 1978-79 तक एक करोड़ 10 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी जिसमें से 50 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई मझोली और बड़ी सिंचाई योजनाओं द्वारा होगी।
4. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चालू योजनाओं के लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है।
5. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और बेतवा नदी के पानी के बंटवारे के लिए कई राज्यों के बीच चले आ रहे झगड़ों पर समझौता हो गया है।
6. समन्वित कमांन क्षेत्र विकास के लिए 51 सिंचाई कमांनों में से 31 प्राधिकरण पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं जिनके अन्तर्गत 45 सिंचाई परियोजनाएं आती हैं।
7. आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिगत जल स्रोतों के उपयोग के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाया गया है। एक अनुमान के अनुसार 1974-76 तक की दो वर्ष की अवधि में लगभग 3.6 लाख कुएं खोदे गए हैं और 3.6 लाख नलकूप लगाए गए हैं तथा चार लाख डीजल पम्प और 6 लाख बिजली चालित पम्प लगाए गए हैं जिनसे करीब 17 लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी।
8. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने पांचवी योजना के दौरान 5 लाख वर्ग किलोमीटर अरिरिक्त भूमि पर सिंचाई करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है। यह पिछले 25 वर्षों में किए गए सर्वेक्षण से भी अधिक है।

★

अनाज का रिकार्ड उत्पादन ★ प्रफुल्लचन्द्र पाठक

अनाज उत्पादन की दृष्टि से 1975-76 का फसल वर्ष सफलता का वर्ष कहा जा सकता है। इस वर्ष कुल मिलाकर 12 करोड़ टन अनाज की पैदावार हुई जो अपने आप में एक नया रिकार्ड है। इससे पहले का रिकार्ड उत्पादन 10 करोड़ 84 लाख टन था जो 1970-71 में हुआ था। इससे देश में अनाज उत्पादन के बारे में विश्वास पैदा होना स्वाभाविक ही है। ऐसी उत्साहजनक स्थिति को देखते हुए पांचवी योजना के अनाज उत्पादन के लक्ष्य में भी संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है। भारत में अनाज का उत्पादन बढ़ाने की यथेष्ट क्षमता है अब यह विश्वास हो चला है। जहां तक उत्पादन वृद्धि की दर का सवाल है, भारत में यह दर 2.3 प्रतिशत है जो चीन की उत्पादन दर से भी अधिक है। उत्पादन की इस दर को साढ़े तीन से चार प्रतिशत तक बढ़ाने की गुंजाइश भी है ऐसा 'साइंटिफिक अमेरिकन' नामक पत्रिका ने मत व्यक्त किया है।

अनाज उत्पादन की अनुकूल स्थिति होने से जहां देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है वहां दूसरी ओर अधिक उत्पादन के फलस्वरूप मूल्यों में स्थिरता आने और उपभोक्ताओं को सुविधापूर्वक उनकी आवश्यकताओं का अनाज मिलने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ आधार मिला है। खाद्य स्थिति संतोषजनक होने के परिणाम-स्वरूप देश के अनाज का आयात बंद करना भी संभव हुआ है। पिछले वर्ष जून के महीने से बाहर से अनाज मंगाना बंद कर दिया गया है। अब केवल वही अनाज आ रहा है जिसके लिए पहले से सौदे किये जा चुके हैं।

चाहे आधिक्य की स्थिति हो या अभाव की दोनों से ही समस्याएं पैदा होती हैं। अभाव की, स्थिति में जहां हमारा ध्यान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन जुटाने पर रहता है वहां आधिक्य होने पर समस्या दूसरे ही प्रकार की होती हैं। दोनों ही परिस्थितियों में जहां मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव होने से अस्थिरता रहती है वहां उत्पादकों को उनकी उपज का उचित प्रतिदान मिलना भी अनिश्चित हो जाता है। सरकार की खाद्य नीति का प्रमुख उद्देश्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करते हुए जनसाधारण के लिए उचित मूल्य पर अनाज की पूर्ति करना है। सरकार इस बात पर विशेष ध्यान देती है कि विभिन्न प्रकार के अनाजों के दाम निर्धारित मूल्यों से नीचे न गिरे। यदि कहीं कीमतों में गिरावट के संकेत मिलते हैं तो सरकारी एजेंसियां निर्धारित मूल्य पर अनाज खरीदने के लिए आगे आती हैं। इस प्रकार मूल्यों में गिरावट रोकने के लिए की जाने वाली खरीद मूल्य संरक्षण उपाय के अंतर्गत की जाती है। मूल्य संरक्षण योजना का उद्देश्य किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का विश्वास दिलाकर उन्हें अधिकाधिक उत्पादन करने को प्रेरित करना है। अनाज की खरीदारी का कार्य भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकारों की एजेंसियां, सहकारी संस्थाएं मिलजुल कर करती हैं। जहां तक संभव होता है किसानों से अनाज की सीधी खरीद की जाती है जिससे किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सके और उन्हें मजबूर होकर कम दाम पर अपना अनाज न बेचना पड़े। इस प्रकार अधिक उत्पादन होने पर सरकार पर किसानों के हितों की रक्षा का भार और बढ़ जाता है। इस वर्ष सभी सरकारी एजेंसियों ने वह सभी अनाज खरीदने का प्रबंध किया जो किसान बेचने के लिए मंडियों में लाए। लगभग सभी प्रकार के अनाज की निर्धारित लक्ष्य से अधिक खरीद हुई। पिछले साल 46 लाख 35 हजार टन चावल खरीदने का लक्ष्य रखा गया था जिसके मुकाबले 63 लाख 26 हजार टन चावल खरीदा गया। इसी प्रकार जहां गेहूं की खरीद का लक्ष्य 52 लाख टन था वहां 66 लाख टन गेहूं की खरीद की गई। इससे पिछले साल 40 लाख 50 हजार टन गेहूं खरीदा गया था। इस साल के लिए 44 लाख टन चावल खरीदने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से लगभग 35 लाख टन की मात्रा खरीदी जा चुकी है और अभी अगले अक्तूबर तक और खरीद होनी है।

अभाव से समस्याएं पैदा होती हैं तो बहुलता से भी। इस वर्ष रबी में गेहूं की भरपूर फसल होने से जहां अर्थव्यवस्था में स्थिरता एवं मजबूती आयी वहां अनाज के समुचित भंडारन को समस्या भी पेश आयी। भारतीय खाद्य निगम ने जो कि सभी भंडार की व्यवस्था करता है, इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। खरीदे गए अनाज के लिए सभी संभव उपायों से भंडारन क्षमता जुटाने की कोशिश की गयी। भंडारन की तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनायी गई कैप प्रणाली बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई। इसमें खुले स्थानों पर चबूतरे बनाकर उन पर गेहूं के बोरों के चट्टे लगा दिए जाते हैं जिनके ऊपर पौलीथीन की चादर डालकर उन्हें इस तरह बांध दिया जाता है कि आंधी से पौलीथीन की चादर उड़ न जाए। पौलीथीन की चादर के कारण पानी का गेहूं के बोरों पर कोई असर नहीं होता और अनाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस समय इस विधि का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। सरकारी गोदामों के अलावा महलों, हवाई पट्टियों, सेना की बैरकों तथा किलों में भी अनाज का संचय किया गया।

इस समय सरकार के पास लगभग एक करोड़ 90 लाख टन अनाज गोदामों में रखा है जो दो वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। खुले

बाजार में से आसानी से अनाज मिलने के कारण सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से होने वाली मात्रा में अनाज का समुचित भंडार है और अनाज का व्यापारिक आयात बंद कर दिया गया है।

अनाज की आसानी से उपलब्धि को देखते हुए इसके लाने ले जाने पर लगी पाबंदी में भी छूट देने का निश्चय किया गया। आन्ध्र प्रदेश, जहां चावल का अधिक उत्पादन होता है, तामिलनाडु, कर्नाटक तथा केन्द्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के साथ मिल कर चावल का एक बड़ा दक्षिण क्षेत्र बनाया गया। चावल के उत्तरी क्षेत्र में जिसमें इस समय पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ आते हैं, राजस्थान को भी शामिल कर लिया गया है। नवम्बर, 1976 से गेहूं के पदार्थों को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर 1973 में लगाई गई पाबंदियां पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं। उचित दर दुकानों से मिलने वाली राशन की मात्रा भी अक्तूबर, 1976 से बढ़ा दी गई है। प्रति व्यक्ति को हर महीने चार किलो अतिरिक्त गेहूं देने का निश्चय किया गया।

अनाज के यथेष्ट भंडार और बड़ी संख्या में पूर्ति करने वाली राशन की उचित दर दुकानों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के उन दो प्रमुख उद्देश्यों की देश को प्राप्ति हो चुकी है जिनमें पहला है अनाज का पर्याप्त भंडार बनाना और दूसरा है वितरण की प्रणाली व्यवस्था। उपलब्ध भंडारों तथा 1976-77 की फसल से खरीदी जा रही अनाज की अधिकाधिक मात्रा को देखते हुए आशा की जाती है कि आगामी वर्ष में देश की खाद्य स्थिति और सुदृढ़ होगी। देश अनाज के मामले में न केवल आत्मनिर्भर ही बन जाएगा बल्कि निकट भविष्य में वह अनाज का निर्यात भी करने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

रबी की फसल शीघ्र ही आनी शुरु हो जाएगी। आशा है इसमें से भी अधिक अनाज की खरीद होगी। अनाज की खरीद और उसके समुचित भंडारन की व्यवस्था करने में भारतीय खाद्य निगम अभी से संलग्न है। ★

अनाज की अधिक पैदावार देने वाली किस्में

क्या आप जानते हैं :-

1. कि कृषि उत्पादन में वृद्धि अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के अधिक प्रयोग और रासायनिक उर्वरकों की अधिक खपत के कारण संभव हुई है।
2. कि अधिक पैदावार देने वाली कृषि भूमि का क्षेत्र 1974-75 के 2·7 करोड़ हैक्टर से बढ़कर 1975-76 में 3·25 हैक्टर हो गया जो कि लक्ष्य से 25 लाख हैक्टर अधिक है।
3. कि वैसे तो सभी प्रमुख अनाजों की कृषि भूमि बढ़ी है, मगर धान के कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।
4. कि धान की नई किस्मों की बढ़ती हुई लोकप्रियता, नए बीज, सुधरी तकनीकों तथा सामुदायिक रूप से धान की पौध उगाने के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाने का परिणाम है।
5. कि 1975-76 की रबी के बाद से उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है।
6. कि पहले उर्वरकों की खपत स्थिर हो गई थी। परंतु बाद में इनकी खपत बढ़ने लगी, जो 1974-75 की रबी में 14 लाख 40 हजार टन से बढ़कर 1975-76 की रबी में 16 लाख 90 हजार टन हो गई—अर्थात् लगभग 17 की वृद्धि हुई।
7. कि किसानों को उर्वरकों के प्रयोग के लाभ बताने के लिए 58 जिलों में एक व्यापक अभियान शुरु किया गया है।

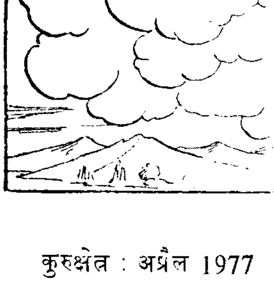

सी० बी० आर० आई० के निदेशक से एक भेंट

कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकान

रवि दिवाकर

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की

भारत ने सस्ते तथा टिकाऊ मकान बनाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। मकानों को सुरक्षित रखने तथा सुदृढ़ नींव सम्बन्धी हमारी विधियां तो हमारे देश के बाहर विदेशों में भी अपनाई जा रही हैं। विकासशील देशों के अलावा विकसित देश भी हमारे भवन अनुसंधानों के प्रति गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उपर्युक्त उद्‌गार रुड़की स्थित केन्द्रीय भवन अनुसंधान के निदेशक प्रोफेसर दिनेश मोहन जी ने हाल ही एक भेंट में प्रकट किए। आवास समस्या के हल का खोज़ी यह संस्थान 1951 से बड़े पैमाने पर नई-नई विधियों की खोज कर आवास समस्याओं को बड़ी ही मुस्तैदी से हल कर रहा है। इस संस्थान ने महत्व पूर्ण अनुसंधान कार्य करके अपने देश के धन की तो बचत की ही है, विदेशों में भारत का मान भी बढ़ाया है। प्रोफेसर दिनेश मोहन बहुत ही गौरव से मुझे यह सब बताए जा रहे थे।

ज़ब मैंने उनसे कहा कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विधियों के बारे में बताइए जिन्हें आपके संस्थान ने खोजा है और ज़िनसे देश को भारी लाभ पहुंचा है।

हल्की सी मुस्कराहट अधरों पर बिखेरते हुए प्रोफेसर साहब बोले, पहली खोज़ तो हमारी नींवों में फाइलों का प्रयोग विशेष रूप से काली मिट्टी के क्षेत्र में है। इससे मध्य प्रदेश, मद्रास, तामिलनाडु, झांसी सहित देश के 20-25 प्र०श० काली मिट्टी वाले क्षेत्र में जहां मकानों में दरार पड़ ज़ाती थी, रुकावट आई है। इस प्रकार की नींवें देश के अनेक भागों में बनाई गई हैं तथा उनके आधार पर कम से कम 30 हज़ार मकानों का निर्माण हुआ है।

रुड़की इंज़ीनियरनिंग विश्वविद्यालय के इंज़ीनियर तथा इंग्लैंड के भवन अनुसंधान केन्द्र से फाउंडेशन इंज़ीनियनिंग में विशेषज्ञता प्राप्त प्रोफेसर दिनेश मोहन में भवन अनुसंधान सम्बन्धी प्रतिभा ज़न्मज़ात है। उनकी इस क्षेत्र में योग्यता को ध्यान में रखकर ही शायद भारत सरकार ने उन्हें पद्‌मश्री से अलकृत किया।

मेरी विचारमग्नता को भंग करते हुए प्रोफेसर साहब बोले —हमारे संस्थान के लग्नशील इंज़ीनियरों ने गांवों में छप्पर की छतों को भी अमरता प्रदान करने की विधि खोज़ी है। मैंने पूछा 'कैसे ?' तो वह बोले— बहुत ही सरल किन्तु जोरदार विधि है। छप्पर बनाते समय फूंस के पूलों को फास्फेट खाद के घोल में भिगोकर तथा सुखाकर छप्पर बांधने से उन पर आग का असर नहीं होता। बरसात से उक्त घोल को घुलन से बचाने के लिए उप पर एक पैंट का छिड़काव कर दिया ज़ाता है।

प्रोफ़ेसर साहब बताते रहे कि शहरों में हमने कंक्रीट की छतों की खोज़ की है। इससे व्यय में 10 से 20 प्र० श० की तथा समय में 20 से 30 प्र० ३० की कमी हो जाती है।

प्रोफेसर साहब ने आगे बताया कि गांवों में हमने कच्ची दीवारों की ज़लरोधन विधि तलाश की है। बरसात में हर वर्ष देहातों में काफी कच्चे मकान गिर जाते थे। इस क्षति को रोकने के लिए हमने दीवारों के लिए एक जलरोधी घोल तैयार किया है। यह घोल तारकोल तथा मिट्टी के तेल से तैयार किया जाता है।

विदेशों में कहां-कहां आपकी विधियों का उपयोग हो रहा है, यह पूछने पर प्रोफेसर साहब ने बताया—अफगानिस्तान में हमने प्राथमिक पाठशालाओं के निर्माण में सलाह दी है। दुबाई में हमें डड़ोमा में हो रहे निर्माण कार्य में हमें 'क्वालिटी कंट्रोल का काम मिला है। हमारी तकनीकों का निर्यात बड़े पैमाने पर हो रहा है। हमारी काली मिट्टी में नींव की विधि का अमरीका, अफ्रीका तथा

इजराइल उपयोग कर रहे हैं। छत की कड़ियों का सक्षम ड़िजाइन बनाने के लिए हमने युकोलिप्टिस वृक्ष को चुना है।

आर्थिक कार्यक्रम में आवासहीनों को जो आवासीय भूखंड दिए गए हैं, उन पर सस्ते तथा टिकाऊ मकान बनाने के लिए आपके संस्थान ने क्या कदम उठाए हैं ?

मेरे प्रश्न के उत्तर में दिनेश मोहन जी बोले—संस्थान ने समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के लिए आवास हेतु एक पूर्वनिर्मित पद्धति का विकास किया है। यह पद्धति उत्तर प्रदेश के रजत जयन्ती ग्रामों में हरिजन आवासों के लिए प्रयुक्त की जा चुकी है और इसी विधि के द्वारा गाजियाबाद में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए 1500 मकानों का निर्माण किया जा चुका है तथा 2 हजार और निर्माणाधीन हैं। रुड़की में बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप ने इस विधि से 52 मकान बनाए हैं तथा रुड़की के निकट ग्राम सुनहरा में भूमिहीन मजदूरों के लिए 19 मकान बनाए हैं। यह मकान—एक कमरा, बरामदा या 2 कमरों का होता है। एक कमरे और बरामदे वाले मकान पर 2 हजार रु0 लागत आती है तथा दो कमरों वाले मकान पर 3500 रु0 लागत आती है।

धाराप्रवाह रूप से प्रोफेसर साहब बताते जा रहे थे कि हमने 'सर्वतोगृह' विधि अर्थात् बिना लोहे व सीमेंट के मकान बनाने की विधि का भी विकास किया है। 'सर्वतोगृह' इस दिशा में एक ऐसा ही प्रयास है जिसके द्वारा स्थानीय संसाधनों से सुन्दर तथा टिकाऊ मकान बनाया जा सकता है। यह विधि बहुत ही सरल है। इसमें कुशल कारीगरों की जरूरत नहीं होती। इस विधि से बनने वाले मकान पर जिसमें एक 10 फुट × 14 फुट का कमरा, एक बरामदा तथा आंगन होता है, 2900 रु० लागत होती है।

आपके संस्थान ने और कहां-कहां निर्माण कार्य में योगदान किया है इस प्रश्न के उत्तर में प्रोफेसर साहब ने बताया कि संस्थान ने उत्तर प्रदेश के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में 2500 पाठशाला भवनों का निर्माण किया है। इस निर्माण कार्य में लगभग 20 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत समय की बचत होती है।

उन्होंने आगे बताया कि एक अन्य योजना के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से संस्थान ने लगभग 600 स्वास्थ्य केन्द्र उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बनाए हैं।

भवन निर्माण में काम आने वाली सामग्री के लिए संस्थान क्या कुछ नई खोजें कर रहा है ?

इसके बारे में दिनेश जी ने बताया कि भवन निर्माण में काम आने वाले सामन मिट्टी, बल्ली, घास-फूस आदि स्थानीय सामग्रियों तथा खपरैल आदि के विकास तथा उत्पादन के लिए भी हमारा संस्थान काम कर रहा है। इन सामग्रियों का ईंट तथा लोहे की बचत के लिए उत्पादन और विकास जरूरी है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा, हमने अनुपयुक्त मिट्टियों से ईंटें, पत्थरों के चिनाई पिंड, शीघ्र जमने वाला चूने का प्लास्टर, प्रचलित सीमेंट कंक्रीट सिरदल, पूर्व विरचित छत, औद्योगिक एवं कृषि औद्योगिक व्यर्थ पदार्थों का उपयोग जैसी विधियों की खोज तथा विकास भी किया है।

बातचीत समाप्त होते-होते जब मैंने उनसे कहा कि आपका संस्थान इतना काम कर रहा है तथा इसकी जानकारी आम जनता को बहुत कम है। यह क्यों ?

दिनेश मोहन जी गम्भीर होकर बोले कि जब संस्थान की ओर से दिल्ली में एक भवन निर्माण संबंधी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी तो राजधानी के एक हिन्दी दैनिक ने अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी की थी कि केन्द्रीय भवन अनुसन्धान संस्थान एक ओर तो यह चाहता है कि हमारे महत्वपूर्ण कामों की जानकारी आम जनता तक पहुंचे, दूसरी ओर प्रदर्शनी का तमाम साहित्य तथा वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में हैं। मुझे यह टिप्पणी बहुत अच्छी लगी थी। प्रोफेसर साहब भावना में आकर बोले—मैं जब इंग्लैंड फाउन्डेशन इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता प्राप्त करने गया था, तब मुझे वहां अंग्रेजी भाषा भाषी लोगों की अंग्रेजी पर आस्था को देखकर अपनी हिन्दी भाषा पर गहन आस्था हो गई थी। वहां से आकर मैंने अपने पिता (श्री मदन मोहन जी भू० पू० उपकुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय) को सदा हिन्दी में ही पर लिखे। अब भी मैं गैर हिन्दी भाषी लोगों को छोड़कर अन्य सभी से हिन्दी में ही बातचीत करता हूं। मुझे हिन्दी भाषी होने का गर्व है।'

रुड़की इंजीनियरिंग विश्व 'विद्यालय के मेधावी छात्र प्रोफेसर दिनेश मोहन की हार्दिक इच्छा है कि उनके संस्थान ने आवास समस्या के हल खोजने के लिए जो विधियां निकाली हैं, वे आम जनता तक पहुंचे तथा लोग उनसे बड़ी मात्रा में लाभ उठाएं। इसके लिए उनका कहना है कि हिन्दी के माध्यम के बिना यह कार्य सरल नहीं है।

यूनेस्को द्वारा संचालित कोलम्बो के एशिया क्षेत्रीय विद्यालय भवन अनुसंधान संस्थान के तकनीकी परामर्शदाता दल के सदस्य प्रोफेसर साहब का, जो अपनी कर्मठता तथा कुशलता के लिए भारत के साथ-साथ विदेशों में भी लोक प्रिय हैं, एक-एक क्षण राष्ट्र को विश्व में भवन निर्माण कला तथा वास्तुकला में अग्रणी बनाने की धुन में ही बीतता है।

—उप-सम्पादक,
दैनिक हिन्दुस्तान,
नई दिल्ली

ग्रामीण-विकास में शिक्षा का योगदान ★ देवीरानी

शिक्षा को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने स्वयं लिखा है—'शिक्षा से मेरा तात्पर्य है—बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाये जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का बहुमुखी विकास।' गांधी जी सामाजिक उन्नति को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने राजनीतिक क्रांति के साथ-साथ सामाजिक क्रांति का भी श्री गणेश किया। यह सामाजिक क्रांति शिक्षा द्वारा ही सम्भव थी।

ग्राम विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज देश के कोने-कोने में विद्यालयों की स्थापना की गई है, ग्रामों का विकास ग्रामीणों के विकास पर निर्भर करता है। इन विद्यालयों में ही ग्राम-बालकों का विकास सम्भव है। वे ही देश के भविष्य हैं। जब तक ग्रामवासी अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखेंगे, तब तक गांवों का उद्धार नहीं हो सकता।

शिक्षा का अर्थ केवल अक्षरीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा बालक को एक अच्छा इन्सान तथा जागरूक सामाजिक बनाती है। विद्यालय का उद्देश्य यह भी है कि वह बालक के सामने एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करे जिसमें रह कर वह अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सके।

स्वावलम्बन व्यक्तित्व का एक सुदृढ़ स्तम्भ है। शिक्षा का उद्देश्य बालक को स्वावलम्बी बनाना भी है। जिस गांव में जितने व्यक्ति स्वावलम्बी होंगे वह गांव उतना ही अधिक प्रगतिशील होगा। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा में स्वावलम्बन पर विशेष बल दिया और पाठ्यक्रम में समुदाय के प्रमुख व्यवसाय को प्रमुखता दी। विद्यालय के आस-पास पाए जाने वाले व्यवसाय को शिक्षा का केन्द्र बना कर ही समुदाय को स्वावलम्बी बनाया जा सकता है।

गांवों में कुछ कुटीर उद्योग बहुत पुराने हैं और उनको करने का ढंग भी पुराना है। उस ढंग को भी बदलना आवश्यक है। आज का गांव विद्यालय से उन सूचनाओं की आवश्यक जानकारी ले सकता है जो कुटीर उद्योगों से संबंधित है। विद्यालय केवल शिक्षा का माध्यम ही नहीं होने चाहिए अपितु ग्राम विकास का केन्द्र भी हो। ग्राम, समुदाय के नवनिर्माण में उनकी गहरी दिलचस्पी अपेक्षित है। स्कूल गांवकी व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का सूचना केन्द्र बन सकता है।

विद्यालय प्रदर्शनियां आयोजित कर सकता है। गांव के दस्तकार, शिल्पकार व कारीगर अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन कर बालकों में अपने काम के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ लिखकर शिल्प कौशल को सम्मान की दृष्टि से देखें तथा नौकरियों के पीछे न भाग कर स्वयं उन पेशों को अपनाएं, इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय में ऐसे समारोहों का आयोजन किया जाए जहां ग्रामीण दस्तकार पुरस्कृत हों। ग्राम वासियों तथा विद्यार्थियों को निजी रोजगार अपनाने की प्रेरणा मिले। महिला शिल्पकारों का भी विशेष सम्मान किया जाना चाहिए। हथकरधा तथा कुटीर उद्योगों के प्रति एक नया दृष्टि कोण नितान्त आवश्यक है।

नई शिक्षा पद्धति

10+2 की नई शिक्षाप्रणाली के अन्तर्गत छात्रों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा भी दी जाएगी। छात्रों को दसवीं कक्षा के बाद दो वर्ष का अध्ययन और करना होगा, तभी उन्हें बी० ए० में प्रवेश मिल सकेगा।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए तथा इसे उत्पादकता के साथ जोड़ने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने देश भर में 10+2+3 की शिक्षा पद्धति की सिफारिश की थी। भारत सरकार की शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति में इसे स्थान मिला। देश में शिक्षा पर हुए अखिल भारतीय सम्मेलनों में इसे स्वीकार किया गया। इसमें व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा के साथ-बहुमुखी शिक्षा को प्रमुखता दी गई।

अन्य विषयों के अतिरिक्त इस प्रणाली में कार्यानुभव एक अनिवार्य विषय रखा गया है। इससे ग्रामीण समाज के विद्यार्थी न केवल उत्पादन शील व आत्मनिर्भर ही बनेंगे, अपितु इन व्यवसायों के प्रति गामीण समाज को नया दृष्टिकोण मिलेगा। इस प्रणाली में कार्यानुभव के अन्तर्गत उन विषयों को रखा गया है जिनको अपनाकर गांव के जीवन में नई जागृति लाई जा सकती है। स्थानीय दशाओं के अनुसार इन विषयों में से कोई भी विषय लिया जा सकता है। इनमें अधिकांश विषय ग्राम विकास से सम्बन्धित हैं तथा विद्यार्थियों के लिए इनका शैक्षिक मूल्य भी है। विषय हैं:—काष्ठ-शिल्प, बागवानी, बीज-उत्पादन, मुर्गीपालन, मधु-मक्खी पालन, सेरी-कल्चर, लाख-संर्वधन, मछली पालन, चमड़े का काम, मिट्टी से खिलौना बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, डिजायनिंग (रंगाई व छपाई), मूर्तिकला, कठ-पुतली कला, वस्त्र सीना व कढ़ाई, भोजन बनाना व परिरक्षण, ब्लाक की छपाई, बाटिका की छपाई, खिलौने बनाना, राजगीरी व चिनाई, खेलों का सामान-बनाना, कताई व बुनाई व कृषि,। इसके अतिरिक्त, इन विषयों को भी ले लिया गया है—बिजली के सरल-उपकरण व उनका रख-रखाव, रेडियो-रचना, मिष्ठान्न, तथा पाक-कला, पुस्तक-शिल्प, कागज-शिल्प, तथा कर्मशियल आर्ट, गायन, ताल, वाद्य, वाद्ययंत्रों का अनुरक्षण व मरम्मत सर्जनात्मक नृत्य,

शेष पृष्ठ 13 पर

बंधक मजदूरी की समाप्ति

मदन मोहन जोशी

आर्थिक कार्यक्रम की बदौलत समाज के जिन वर्गों में सुखद भविष्य के प्रति विश्वास आया है, बंधुआ मजदूरी उन्हीं में से एक है। सच तो यह है कि बंधुआ मजदूरी से अधिक विपन्न, अधिक दलित, पीड़ित और शोषित शायद ही कोई दूसरा वर्ग हो। यों तो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की हर साजिश दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन थोड़े से कर्ज के नाम पर किसी मासूम के पसीने को या खून की आखरी बूंद तक चूस लेना उसके साथ दास की तरह सलूक करना मानवीय सभ्यता के इतिहास का एक निहायत ही क्रूर और कलुषित पृष्ठ है। यह संतोष का विषय है कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति के नवीन दौर में भारत ने मध्य-युगीन सामंती प्रथा के इस बोझ को एक झटके में ही उतार फेंका है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि बंधक मजदूरों का उद्धार एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने मानव विरोधी प्रथा पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश जारी किया। यह अध्यादेश 2 अक्तूबर, 1975 को प्रसारित हुआ। कोई तीन हफ्ते बाद केन्द्र ने भी इससे मिलता-जुलता एक अध्यादेश जारी किया जिससे बंधक मजदूरों की मुक्ति के काम में और भी तेजी आई। नवीनतम जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में अब तक लगभग 1350 मजदूरों को साहूकारों की आर्थिक गुलामी से मुक्ति मिल गई है। यही नहीं, बल्कि जबरन बेगार कराने और कानून के अन्य प्रावधानों की अवहेलना करने वालों के साथ सरकार कड़ाई से पेश आ रही है। कई साहूकारों को सजा और जुर्माना दोनों ही दंड भुगतने पड़े हैं। एक ओर जहां बंधक मजदूरों से मुक्त हुए व्यक्तियों को पुनर्वास की उदार सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वहां दूसरी ओर उन इलाकों में जहां यह सामंती प्रथा किसी न किसी रूप में प्रचलित है, जन-जागृति पैदा करने के उद्देश्य से शिविर आदि आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से अध्यादेश के उन प्रावधानों को विशेष रूप से प्रचारित करने की कोशिश की जाती है जिनके अनुसार अब न तो किसी व्यक्ति को कोई बलात् मजदूर बना कर रख सकता है या उससे बेगार ले सकता है। यही नहीं, बल्कि इस तरह के तमाम लिखित और अलिखित करार अब रद्द हो गए हैं। बंधक मजदूरों के सारे कर्जों की माफी हो गई है। तथा उनके विरुद्ध अब अदालत में किसी ऐसे प्रकरण को लेकर सुनवाई नहीं की जा सकती। उनकी गिरवी रखी हुई सम्पत्ति भी वापस मिल जाएगी। यदि ऋण वसूली के सिल-सिले में उसकी सम्पत्ति अदालत के अनुसार बेच दी गई है तो वह उसे 5 वर्ष में वापस ले सकता है। अध्यादेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बंधक मजदूर से मुक्त किसी भी बंधक मजदूर को उसके रहने के स्थान से हटाया नहीं जाएगा। गरज यह कि कानून के अनुसार हर बंधक मजदूर अन्य मजदूरों के समान स्वतंत्र है और उस पर ऐसी कोई रोक या बंदिश नहीं लगाई जा सकती, जो आर्थिक स्वाधीनता अर्थात् रोजगार के मूल अधिकार की अवधारणा के विपरीत जाती हो। कानून में बंधक मजदूरी की प्रथा को प्रश्रय देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट जारी किए बंदी बनाया जा सकता है तथा न्यायालय द्वारा उसे तीन वर्ष तक कारावास या एक हजार रुपए तक का दंड दिया जा सकता है। शिविरों के माध्यम से इन प्रावधानों को प्रचारित करने के अच्छे नतीजे सामने आए हैं।

शासन बंधक प्रथा से मुक्त श्रमिकों के पुनर्वास की ओर पूरी तरह से सजग और सक्रिय है। जिलाधीशों को निर्देश दिया गया है कि वे न केवल अपराधियों के विरुद्ध मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करें, बल्कि मुक्त हुए मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर जिले की विकास योजनाओं में बगैर विलम्ब के काम मुहैया करें। जहां विकास योजनाओं में रोजगार की गुंजाइश नहीं है, वहां खेती के लिए जमीन तथा अन्य सुविधाएं दी जाएंगी अथवा छोटे-मोटे कुटीर उद्योगों की ओर आकर्षित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश एक विशाल राज्य है तथा उसकी आबादी में हरिजनों, आदिवासियों और अन्य कमजोर वर्गों का हिस्सा एक तिहाई है। अधिकांश दूर-दराज क्षेत्र आवागमन के साधनों से कटे हैं। इन परिस्थितियों में यह पता लगाना कठिन है कि कहां कौन किसे बंधक मजदूर बनाए हुए है। परन्तु शासन ने जिला तथा रेवेन्यू स्तर पर जनप्रतिनिधियों की सतर्कता समितियां नियुक्त कर इस गुत्थी का हल निकाल लिया है। ये समितियां संदिग्ध प्रकरणों का पता लगाकर जिला प्रशासन को सूचित करेंगी।

बंधक मजदूर साहूकार से ऋण लेने के बाद स्वतंत्र रूप से रोजगार करने का अधिकार खो देता है। बंधक की स्थिति में जो भी रूखा-सूखा मिले, उसी से पेट भरना पड़ता है। इस बंधन से छूटने की बात तो और, वह किसी तरह की गिला भी नहीं कर सकता। कर्ज न पटने की स्थिति में उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी बंधक मजदूर बनने के लिए विवश होना पड़ता है। यही नहीं बल्कि यह कर्ज कुछ इस मनमानी दर से बढ़ाया जाता है कि अगली पीढ़ियां भी इसे पटाने में खप जाती हैं। विभिन्न प्रदेशों में बंधक मजदूरों के लिए अलग-अलग नाम प्रचलित हैं। मध्य प्रदेश में इन्हें-कामियां, सोनई महीनदारी, हरवाहा, हाली और सालदार कहा जाता है।

अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के एक प्रतिवेतन के अनुसार बंधक मजदूरी की प्रथा रतलाम, मुरैना, झाबुआ,

मंदसौर और रायपुर जिलों के कुछ भागों में ही छुटपुट रूप से प्रचलित है। हालांकि इसका रूप कहीं भी सघन नहीं है, लेकिन शासन का संकल्प है कि वह हरएक बंधक मजदूर की मुक्ति कराएगा, चाहे उनकी संख्या कितनी भी कम हो।

बंधक मजदूर मूलतः ऋण ग्रस्तता का ही दूसरा नाम है। पिछड़ी जातियों की तमाम व्याधियों की जड़ कर्ज है। इन वर्गों में व्याप्त भीषण गरीबी, पिछड़ापन और असमानता के कारण साहूकारों की बन आई और एक तरह सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था उनकी मुट्ठी में बंद हो गई। यही नहीं, स्वाधीनता के बाद पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर राष्ट्र ने जो करोड़ों रुपए खर्च किए उसका एक बड़ा हिस्सा घूम-फिरकर इन्हीं की तिजोरियों में चला गया। आर्थिक कार्यक्रम ने इस दुष्चक्र पर पहली बार एक कारगर विराम लगाया है। ग्रामीण ऋण ग्रस्तता तथा बंधक मजदूरी प्रथा की समाप्ति कमजोर वर्गों को आर्थिक स्वाधीनता देने का एक ऐतिहासिक घोषणा-पत्र है। जहां तक बंधक मजदूरी का सम्बंध है, यह जंगली प्रथा है, जिसका स्वतंत्र भारत में सहअस्तित्व नहीं रह सकता। देश के अन्य राज्यों की तरह मध्यप्रदेश भी इसको करने के लिए दृढ़ संकल्प है। समूल नष्ट शासन द्वारा एक के बाद एक अपनाए गए क्रांतिकारी कार्यक्रम से एक ओर जहां गरीब और पिछड़े वर्ग की जनता में आशा का संचार हुआ है, उनमें नई चेतना उत्पन्न हुई है और अपने परिश्रम से गरीबी हटाने का उत्साह जाग्रत हुआ है, वहीं दकियानूसी सामंतवादी और पूंजीवादी तत्वों पर अंकुश लगाने में भी सफलता प्राप्त हुई है। ★

बिचौलियों से कुम्हारों का पिंड छूटा

शोलापुर जिले के होतगी गांव के निवासी हैं येननप्पा शिवप्पा कुम्हार तथा राजेन्द्र शिवप्पा कुम्हार। घड़े बर्तन बनाने का अपना धंधा बड़ी मुश्किल से चला पा रहे थे, क्योंकि इसके लिए उन्हें धन की जरूरत पड़ती थी और शहर के बिचौलियों से उन्हें सूद पर पैसा लेना पड़ता था। घड़े आदि का मौसम शुरू होने से पहले शहर का बिचौलिया इन कुम्हारों के पास आता था और उन्हें 1000 रूपए से 1200 रूपए तक उधार देता था। इस रकम से ये लोग बर्तन बनाने की मिट्टी और गधे खरीदते थे तथा घरखर्च चलाते थे। कर्ज की रकम के साथ सौदा तय हो जाता था। वह यह कि कुम्हार जितने बर्तन बनाएंगे उन्हें बिचौलिए की दुकान पर निश्चित दाम पर शहर में पहुंचा आएंगे। आमतौर पर बिचौलिया एक रूपए में तीन बर्तन खरीदने का सौदा कर लिया करता था। इसके विपरीत बाजार में एक रुपए में सिर्फ एक ही बर्तन मिलता था। इस प्रकार वह बिचौलिया न केवल अपनी रकम वसूल कर लेता था बल्कि कुम्हारों का शोषण भी करता था।

बैंक आफ इंडिया ने इन कुम्हारों की मदद का बीड़ा उठाया, जिससे कि वे अपनी मेहनत की मजदूरी कमा सकें। इसके लिए बैंक ने इन्हें छह-छह सौ रुपए के कर्ज दिए। इससे कुम्हारों ने अपने बर्तन बाजार भाव से बेचने शुरु किए।

यह सब तो हुआ, परन्तु कुम्हारों के सामने एक और कठिनाई आ खड़ी हुइ। बिचौलियों के हट जाने से अब अपने बर्तन उन्हें स्वयं बाजार में ले जाने पड़े। इस काम में भी बैंक ने इन कुम्हारों की मदद की। बैंक की सहायता से वे अपने बर्तनों को बाजार में ले जाकर आसानी से बेचने लगे।

इस तरह कुम्हारों की आर्थिक दशा में उल्लेखनीय सुधार हुआ। छह महीनों के अन्दर दोनों भाइयों ने तीन-तीन सौ रुपए बैंक को लौटा दिए, हालांकि कर्ज शर्तों के अनुसार उन्हें हर तिमाही सौ-सौ रुपए लौटाने थे। अपने धंधे की सुचारू व्यवस्था से ये कुम्हार न केवल किश्त से भी अधिक रु० बैंक को लौटाने की स्थिति में आ गए बल्कि अब उनका मुनाफा भी बढ़ गया है और उनका कोई शोषण भी नहीं करता। ★

ग्रामीण विकास में शिक्षा........ [पृष्ठ 11 का शेषांश]

थियेटर-शिल्प, गरेलू यंत्रों का अनुरक्षण व मरम्मत, अंग्रेजी व हिन्दी की टाइप-राईटिंग, फोटोग्राफी, मुद्रण कला।

इन विषयों में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर विद्यार्थी अपने भावी जीवन के लिए केवल तैयार ही नहीं होंगे, अपितु स्थानीय व्यवसायों में भी गति आयेगी। विद्यालय इन विषयों को सिखाने के लिए गांव के राज, बढ़ई, मोची, कुम्हार तथा रंगरेज की सेवा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार समुदाय तथा विद्यालय उद्योग कुशलता तथा ज्ञान के आदान-प्रदान में एक दूसरे के सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

शिक्षा के विकास के कारण गांवों का रूप धीरे-धीरे बदल रहा है। उपयोगिता हीन व निरर्थक मान्यताओं के स्थान पर स्वस्थ व उपयोगी धारणाएं पनप रही हैं। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का साधन है। आज के गांव अपनी संस्कृति के स्थायी मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए शिक्षा के द्वारा ही एक नए प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं।

डी, 147 विवेक विहार,
शाहदरा, दिल्ली-110032।

मत्स्य संवर्धन के बढ़ते चरण

वी० आर० पी० सिन्हा

[संयुक्त मत्स्य संवर्धन का सिद्धांत पोखरों जैसे मौजूदा जल साधनों के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर आधारित है। भारतीय मछलियों की कई ऐसी प्रमुख जातियां हैं जिनके भोजन की आदतें अलग-अलग हैं। कुछ पानी के ऊपर रहकर भोजन करती हैं, तो कुछ तली में रहकर पेट भरती हैं और कुछ दोनों में रहकर खाने की आदी हैं। अगर इन सभी जातियों को साथ रखकर संवर्धन किया जा सके तो पोखर का अधिकतम उत्पादक उपयोग किया जा सकता है और इससे कुल उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हो सकती है।]

भारत एक वर्ष में 20 लाख टन मछलियां पैदा करता है। इनमें से 12 लाख टन सागरीय स्रोतों से, 8 लाख टन अंतर्देशीय जल स्रोतों से और केवल 4 लाख टन जल जीव संवर्धन तकनीक से मिलती हैं। देश में प्रति व्यक्ति मछली की खपत का वर्तमान औसत 2.8 कि०ग्रा० है जबकि इसे 31 कि०ग्रा० होना चाहिए। मानव पोषण के संबंध में बनी पोषण परामर्शदात्री समिति ने ऐसा ही सुझाव दिया है। खपत की इस दर को बनाए रखने के लिए भी 1983 में देश को 23 लाख टन मछलियों की जरूरत होगी।

मत्स्य उत्पादन और आवश्यकता के बीच मौजूद अंतर को कम करने में जलजीव संवर्धन कार्यक्रम काफी आशाजनक दिखाई देता है, क्योंकि इसमें कम पूंजी लगती है। संवर्धन कार्यक्रम सघन प्रकृति का होता है और इसे एक कुटीर उद्योग के रूप में विकसित किया जा सकता है।

हमारे देश में जलजीव संवर्धन के विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं— यहां 16 लाख हेक्टर ताजे पानी के पोखर और तालाब हैं। इनमें से इस समय 6 लाख हेक्टर का उपयोग किया जाता है। 4 लाख हेक्टर तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध हैं और 6 लाख हेक्टर दलदली क्षेत्र हैं जिनका जलजीव संवर्धन के लिए पुनरुद्धार किया जाना जरूरी है।

हालांकि पारम्परिक तरीकों से केवल 6 टन हेक्टर प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जाता है लेकिन केन्द्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान, कटक, की संयुक्त मत्स्य संर्वधन तकनीक ने 3.9 टन हेक्टर प्रतिवर्ष का उत्पादन किया है। इसके तहत अलग-अलग भोजन की आदतों वाली और साथ पाली जा सकने वाली मत्स्य जातियों को उचित समूहों व अनुपातों में साथ रखकर संवर्धन किया जाता है। इस सिद्धान्त के आधार पर मछलियों की छः प्रजातियों को ताजे पानी के पोखरों में साथ रखकर संवर्धन किया गया। संयुक्त मत्स्य संवर्धन के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों से इस संभावना का पता चला कि इस तरह सालभर में दो बार मछलियों की फसल तैयार की जा सकती है और इस काम में उन मौसमी पोखरों में बड़े आकार की मछलियां तैयार की जा सकती हैं, जिनमें वर्ष में केवल 6-8 महीने तक ही पानी रहता है। इन स्थानों में संयुक्त मत्स्य संवर्धन का काम इस प्रकार आयोजित किया जा सकता है, जिससे मछलियां अप्रैल से पहले ही तैयार हो सकें।

अनेक राज्यों में संयुक्त मत्स्य संवर्धन पोखरों में पहली बार ग्रास कप और सिल्वर कप पैदा की जा सकी थीं। यह काम आर्थिक रूप से बहुत फायदेमन्द रहता है। समन्वित परियोजनाओं के विभिन्न केन्द्रों में महुए की खली, चारे व उर्वरकों जैसे निवेश पर उत्पादन लागत 0.65— 2 रुपयों तक आती है।

जितनी जल भूमि में इस समय संवर्धन का काम किया जा रहा है, अगर उसमें से केवल 6 लाख हेक्टर में संयुक्त मत्स्य संवर्धन का काम किया जाए तो उसकी रोजगार संभावनाएं 2·26 व्यक्ति प्रतिवर्ष बैठती है।

वित्तीय साधनों की कमी और मछली पालन का धंधा करने वाले लोगों को मत्स्य संवर्धन की आधुनिक वैज्ञानिक टेक्नालाजी की जानकारी न होने के कारण ही जलजीव संवर्धन एक उद्योग के रूप में विकसित नहीं हो पा रहा है। इसी दृष्टि से केन्द्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। धौली में इस ताजा जल जीव संवर्धन अनुसंधान केन्द्र खुलने और आई० सी० ए० आर० द्वारा केवल मत्स्य पालन के लिए विज्ञान केन्द्र और प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण केन्द्र की शुरुआत से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। भारत सरकार ने ग्रामीण जलजीव संवर्धन के काम को संस्थानिक वित्त व्यवस्था से जोड़ने की दृष्टि से पूरे देश में अनेक मछली पालक विकास ऐजेन्सियां बनाई हैं। योजना आयोग ने समस्त राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने यहां संयुक्त मत्स्य संवर्धन प्रणाली को लागू करने के लिए कार्यक्रम बनाएं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 100 प्रदर्शन फार्मों में संयुक्त मत्स्य संवर्धन कार्यक्रम शुरु कर दिए हैं और बिहार सरकार ने भी इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर चलाने की योजना बनाई है। खाद्य व कृषि मंत्रालय ने उ० प्र०, असम, मध्यप्रदेश और राजस्थान से भी ऐसे कार्यक्रम बनाने को कहा है। ★

गांवों में चिकित्सा करने के मेरे संस्मरण ★ डा० वी० बी० लाल

यह एक सर्व विदित तथ्य है कि भारत वर्ष की अधिकतर जनसंख्या आज भी ग्रामों में बसती है। उनके लिए चिकित्सा, औषधि, पथ्य तथा उपचार की समस्या है। अच्छे स्वास्थ्य पर ही देश का उत्पादन निर्भर करता है। विगत 36 सालों में बहुत कुछ बदला है और उन्नति हुई है परन्तु फिर भी वह पर्याप्त नहीं है। इसके कई कारण हैं: सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या की अधिकाधिक वृद्धि। मनुष्य चाहे इस पृथ्वी के किसी भी कोने में रहता हो, वह बच्चा हो या वृद्ध, सबकी चिकित्सा व खाद्य-पदार्थों की आवश्यकता बराबर ही है। कठिनाइयां और व्यय भी बढ़ते जाते हैं। पश्चिमी देश अपनी समृद्धि और तकनीकी उपलब्धियों द्वारा अपने सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरी व्यवस्था करने में समर्थ हैं।

1940 की बात है। पहली बार ग्रामीण भाइयों की चिकित्सा करने और उनके सम्पर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आगरा क्षेत्र के एक गांव में लगभग 35 मील दूर डिस्पेंसरी थी। यह गांव उस समय तक के भरतपुर राज्य और ब्रिटिश भारत की सीमा पर बसा हुआ था। यह डिस्पेंसरी ग्रामीण सुधार कार्यालय के अन्तर्गत कायम की गई थी। यह एक नई योजना थी और इसका भी स्वागत किया गया। हमारे सामने समस्याएं थीं कि हम वहां के रहने वालों को अधिक से अधिक कैसे सेवा प्रदान करें। शहर से दूर बसे इन ग्रामों में आवागमन की समस्याएं थीं। वहां न जाने कितने सौ वर्षों से ग्रामों में रहने वाले हकीम, वैद्य, ओझा, फूंकने तथा झाड़ने वाले, भूत-प्रेत को भगाने वाले व्यक्तियों ने चिकित्सा का भार अपने ऊपर ले रखा था। ये हकीम और वैद्य लोगों से कोई फीस या दवा के दाम आदि नहीं लेते थे। जब गांव का जमींदार या सम्पन्न व्यक्ति बीमार पड़ता था, उसके रोग के संदर्भ में इतनी दवाइयां इत्यादि बना देते कि वे दूसरे ग्रामीण, गरीब और निम्न श्रेणी के लोगों को मुफ्त दवाई दे सकते थे। फसल के समय पर प्रत्येक ग्रामीण का यह धर्म होता था कि वह इन सेवा रत व्यक्तियों को थोड़ा अनाज पहुंचाए। यह पेशे पारिवारिक और पिता से पुत्र को चले आते थे क्योंकि आयुर्वेदिक, यूनानी और भूत-प्रेतों द्वारा बीमारियों पर आधारित चिकित्सा और पश्चिमी प्रणाली से सम्पन्न एलोपैथी चिकित्सा में काफी अन्तर है। उस समय लोगों का विश्वास अधिकतर उसी पुरानी प्रणाली पर था। ग्रामों में अधिकतर लोग छूत की बीमारियों से, विशेषकर हैजा, टाइफाइड (मोतीझरा), पेचिश आदि से ग्रस्त होते थे। इन बीमारियों का कारण गांव की सफाई व पानी पर निर्भर करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्तर्गत जो अनुसंधान हुए हैं उनका यही निष्कर्ष है कि अविकसित देशों के गांवों में अधिकतर रोग सफाई व स्वच्छता न होने के कारण होते हैं। ऐसे सभी देशों में लोगों को साफ पेय-जल का मिलना बहुत कठिन है और इसी कारण बहुत सी बीमारियां साफ-सुथरा जल पीने के लिए न मिलने के कारण होती हैं। वर्षा में वे कठिनाइयां और भी बढ़ जाती हैं। उस समय चारों ओर खेतों तथा ताल तलैयों में पानी भर जाता है। लोग कुओं से पानी अवश्य लेते हैं पर ठीक व्यवस्था न होने से कुओं के तटों का पानी कुंओं में चला जाता है जो कि उस पीने वाले जल को गन्दा कर देता है। फलस्वरूप बीमारियां फैल जाती हैं।

ताल-तलैयों में भरे पानी में मच्छर-मक्खी आदि पैदा होते हैं और ये मलेरिया बुखार पैदा करते हैं। मक्खियां गन्दगी पर बैठकर खाद्य पदार्थों को दूषित करती हैं। इनके अतिरिक्त उस समय टी० बी० (तपेदिक) की बीमारियों से भी बहुत लोग ग्रस्त होते थे। पिछले 20 वर्षों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्तर्गत मलेरिया विरोधी स्कीम चलाई गई। इससे मलेरिया का प्रकोप काफी कम हुआ है। चेचक को आमतौर से माता का प्रकोप समझा जाता था और अब यह भावना कम हुई है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस व्याधि की उत्पत्ति के बारे में लोगों की धारणा बड़ी विचित्र थी और इसी कारण सबसे पहले चेचक के मरीज का ओझा व झाड़ फूंक करने वाले वैद्य आदि से ही इलाज करवाया जाता था। इसी कारण हम डाक्टरों के सामने इस तरह के बीमार बड़ी असाध्य अवस्था में आते थे जबकि बहुत से मामलों में हम लोग बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हुए भी सफल नहीं हो पाते थे।

एक बार ऐसा भी समय आया जबकि मुझे एक रुग्ण महिला को देखने के लिए बुलाया गया और कहा गया कि उसे एक देवी आई हुई है। लक्ष्मी नारायण ओझा जी तथा पं० राम किशोर वैद्य, हकीम मुख्तियार अहमद आदि सबने उसको देख लिया और काफी कोशिश कर ली गई परन्तु फिर भी होश में नहीं आई। वास्तव में रुग्ण को देवी आदि का प्रकोप नहीं था बल्कि गर्भवती थी और एक्लेम्पसिया रोग से ग्रस्त थी। इस रोग में रुग्णा को एक प्रकार का जहरवाद हो जाता है। शरीर की मांस-पेशियों में थिरकन होती है जिसे लोग देवी का प्रकोप समझते थे। अगर ठीक समय पर ऐसे रोगियों को जच्चा-बच्चा सेवा मिले तो जच्चा व बच्चा दोनों की जान बचाई जा सकती है। मेरे उनको यह बताने पर कि वास्तविकता क्या है, विश्वास न हो सका और दूसरी बात यह भी थी कि उस रुग्णा को आगरे में

शेष पृष्ठ 17 पर

राष्ट्र-निर्माण में युवकों की भूमिका

श्रमदान में छात्राएं मिट्टी में तोड़ती हुई।

सतरङ्गी

युवा शक्ति का समुचित उपयोग करने के लिए आजकल चलाए जा रहे सभी युवा कार्यक्रमों का लक्ष्य राष्ट्रीय लक्ष्यों, राष्ट्रीय मतैक्य और देश की सामान्य समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और इस संबंध में जानकारी को बढ़ावा देना है। जनता की भलाई के लिए इन लक्ष्यों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी संस्थाएं और युवकों की स्वैच्छिक संस्थाएं कार्यरत हैं।

राष्ट्र की सेवा में कार्यरत कुछ संगठनों का वर्णन इस प्रकार है :—

युवक मण्डल

युवक मण्डलों की स्थापना सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में हुई थी। इनका लक्ष्य ग्रामीण युवकों में मिलकर कार्य करने की आदत डालना था। आज के युवकों को अच्छे किसान बनाने, अच्छे नागरिक बनाने और अच्छे नेता बनाने के लिए युवक मण्डल एक प्रकार से प्रशिक्षण शालाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसमें नवयुवकों को आपसी विचार-विमर्श के आधार पर आत्मविश्वास की भावना पैदा करने का मौका मिलता है।

नेहरू युवक केन्द्र

ऐसे युवक जो पढ़ते नहीं हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है और विभिन्न समूहों में बंटे हैं और अलग-अलग व्यवसायों में लगे हुए हैं। देश के 9 करोड़ युवक 15 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। युवा केन्द्रों की योजना 1972 में चालू की गई थी और अब तक ऐसे 185 केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इन केन्द्रों का मुख्य कार्य न पढ़ने वाले युवकों को मुख्यत: ग्रामीण युवकों को आपस में मिल बैठ बातचीत करने का एक मंच प्रदान करना है। केन्द्रों की कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं—अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें काम चलाऊ पढ़ाई-लिखाई भी शामिल है और कृषि, स्वास्थ्य परिवार-नियोजन और सामुदायिक रहन-सहन की शिक्षा, समुचित प्रशिक्षण द्वारा निजी रोजगार के अवसर प्रदान करना और युवकों को लघु उद्योगों तथा अन्य उद्योगों को लगाने में सहायता करना तथा सफाई अभियान, टीके लगवाना व स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसी सामाजिक सेवाएं तथा ऐसे खेलों को प्रोत्साहन देना जिनमें अधिक लोगों की दिलचस्पी हो।

राष्ट्रीय सेवा योजना

शिक्षा आयोग, 1966 द्वारा प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों को शिक्षा के किसी न किसी सामाजिक सेवा से जोड़ने संबंधी की गई सिफारिश को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर के विकल्प के रूप में एक राष्ट्रीय सेवा कोर तैयार करने की योजना बनाई गई।

राष्ट्रीय सेवा योजना अक्तूबर, 1969 में 40 विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में चालू की गई जिसके अन्तर्गत 40,000 स्नातक विद्यार्थियों को शामिल किया गया। यह योजना अब लगभग सभी विश्वविद्यालयों में लागू की जा रही है जिसके अन्तर्गत 2 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को शामिल किए जाने का अनुमान है।

इस योजना के अनुसार विद्यार्थी को अपनी कालेज की पढ़ाई के दौरान दो वर्ष तक अपने आराम के समय को विभिन्न सामाजिक कार्यों और राष्ट्रीय विकास गतिविधियों में लगाना है। 1973 के दौरान अकाल के विरुद्ध युवक अभियान चलाया गया। 1974-75 का अन्य मुख्य नारा था 'युवा वनरोपण' व वृक्ष लगाने के लिए'। 1973 में 745 शिविर लगाए गए जिनमें लगभग 65,000 युवकों ने भाग लिया। 1974-75 में 1,200 शिविर लगाए गए।

राष्ट्रीय सेवा योजना में शिक्षा देना, लघु सिचाई कार्य तथा कृषि कार्य आदि शामिल हैं।

1973 के विशेष शिविर कार्यक्रमों में विद्यार्थियों तथा अन्य युवकों ने साथ-साथ कार्य किया ताकि अन्य युवकों में

भी राष्ट्रीय सम्पत्ति की देखभाल की भावना पैदा की जा सके।

युवा क्लब बनाने के लिए प्रदर्शन परियोजना के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय युवा कार्यक्रम चला रहे हैं।

यह योजना ग्रामीण युवकों के सर्वांगीण विकास के लिए अवसर देने के लिए चलाई गई। इसका ध्येय ग्रामीण युवकों के लिए उपलब्ध वर्तमान अवसरों को और बढ़ाने का है। क्लब के सदस्यों को वैज्ञानिक, कृषि और अन्य दस्तकारियों की जानकारी दी जाएगी और 20 वर्ष की आयु के सभी ग्रामीण युवक युवा क्लब के सदस्य बन सकते हैं। इससे कम आयु के बच्चों को भी सदस्य बनाने पर विचार किया जा सकता है।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि केवल औपचारिक शिक्षा प्रणाली पर भी काफी जोर दिया दिया जाना चाहिए। पांचवीं योजना काल में 6—14 वर्ष, 15 से 25 वर्ष तक के स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा योजनाएं तैयार की गई हैं। युवकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य युवकों की आवश्यकताओं और हितों के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करना है।

यह कार्यक्रम युवकों से अधिक किसानों के लिए है। फिर भी, युवक इस कार्यक्रम का मुख्य आधार हैं। यह शिक्षा मन्त्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय द्वारा मिलकर चलाई जाती हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अनाज के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनना, उत्पादन में वृद्धि तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य विकास कार्यों के साथ शिक्षा का सीमा संबंध स्थापित करना है।

युवा किसान क्लब

विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों से जुड़े प्रत्येक विकास खंड के चुने हुए गांवों में दस युवा किसान क्लब खोले गए हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देना और कृषि के क्षेत्र में निजी रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

अनाज की पैदावार बढ़ाने में सबसे कठिनाई समय समय पर फसलों को लाने वाली बीमारियां हैं। यह अनुभव किया गया कि कृषि महाविद्यालयों के विद्यार्थियों का स्वैच्छिक योगदान इस दिशा में काफी सहायक हो सकता है। इस बाधा पर फसल बचाव सेवा दल द्वारा काबू पाया जा सकता है। इस योजना के द्वारा विद्यार्थियों में किसानों के साथ मिलकर उत्पादन कार्य करने की भावना पैदा करना भी है।

किसानों के स्वैच्छिक संगठनों का किसानों के साथ सीधा संबंध होता है और वे किसानों को प्रशिक्षित तथा शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए इन संस्थाओं को तथा अन्य क्षेत्रों में युवा किसानों को प्रशिक्षण देने संबंधी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनका उद्देश्य युवा किसानों को कृषि तथा अन्य क्षेत्रों की जानकारी देना तथा उनमें नेतृत्व की भावना का विकास करने के लिए उनको संस्थागत व गैर-संस्थागत प्रशिक्षण देना है। ★

गांवों में चिकित्सा……… [पृष्ठ 15 का शेषांश]

स्त्रियों के अस्पताल में पहुंचाना था। कितनी ही ऐसी स्त्रियों और नवजात शिशुओं की आकस्मिक मौतें अज्ञानता के कारण इन ग्रामों में हो जाती थीं।

वर्षा ऋतु में ग्रामों में सांप आदि बहुत निकलते हैं और कई बार लोगों को काट लेते हैं। आधुनिक चिकित्सा ने इस ओर बहुत से प्रयोग किए हैं और एक टीका 'एण्टी स्नेक वैनम' बनाया है। अब तो यह हमारे देश में भी बनने लगा है। इसके लगाने से सांप के काटे का इलाज होता है और बहुत सों की जानें बचाई जा सकती हैं। उस समय लोगों में अन्ध-विश्वास और विचित्र धारणाएं सांप के काटे के बारे में थीं। वहां सांप के काटे की कई दुर्घटनाएं हुईं। एक बार एक व्यक्ति को सांप ने काटा। झाड़-फूंक चली और यह प्रतीक्षा की जा रही थी कि सर्प आएगा और अपना विष चूसेगा और रोगी अच्छा हो जाएगा लेकिन इसके विपरीत सर्प तो आया नहीं। रोगी यमपुर चला गया।

यह सन्तोष का विषय है कि ज्यों-ज्यों लोगों में शिक्षा-प्रसार और वैज्ञानिक जानकारी बढ़ी है, त्यों-त्यों स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करने का प्रयोग जारी है। अब बहुत से ग्रामों में स्वास्थ्य केन्द्र भी बने हैं। अब आर्थिक कार्यक्रम के साथ-साथ एक नया उत्साह ग्रामों की उन्नति के प्रति जागा है। आशा है कि जो कठिनाइयां एक स्वास्थ्य अधिकारी व डाक्टर को उठानी पड़ती थीं, अब नहीं उठानी पड़ेंगी और ग्रामों का तथा देश का स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन सुधरेगा। ★

"मुद्रास्फीति की रोकथाम" ★ एस० सेतुरमण

नई लोकसभा के चुनाव के बाद राजनीतिक पटल पर आए आकस्मिक परिवर्तनों के कारण आर्थिक विषय कुछ सीमा तक गौण हो गए हैं। आपात स्थिति खत्म कर दी गई है और समाचार पत्रों पर से सेंसर शिप हटा दी गई है ताकि प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं पर सभी अपने-अपने विचार प्रकट कर सकें। राजनीतिक कारण चाहे कुछ भी हों, इस दौरान में कई प्रकार के आर्थिक लाभ हुए हैं और उनकी विश्वभर में सराहना भी की गई है। विकास की गति और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अब हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में आर्थिक नीतियों में समानता और उन सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करते समय अधिक जोर दिया जाएगा जिनके लिए पिछले 2-3 वर्षों में आर्थिक उपाय शुरू किए गए हैं।

मार्च में चुनाव के कारण संसद में वित्तीय कामकाज सामान्यतः निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न होकर देर से होगा। चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार का 1977-78 का केन्द्रीय बजट कदाचित मार्च के आखिरी दिनों से पहले पेश न हो सकेगा। अतः यह केवल उसी समय स्पष्ट हो सकेगा कि अगले वर्ष आर्थिक नीति में किन विषयों पर अधिक जोर दिया जाएगा। तब तक वार्षिक योजना और विकास की कार्यनीति तैयार करने की दिशा में बहुत कुछ काम हो चुका होगा। कुल मिलाकर भारत की आर्थिक स्थिति इस समय अच्छी हालत में है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मिली सफलता के परिणाम स्वरूप भारत ने आधार इतना सुदृढ़ बना लिया है कि विकास कार्यक्रम दुगने जोश से चलाया जा सकेगा। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ क्षेत्रों में अब भी चिन्ता के कारण हैं पर वर्तमान स्थिति व पिछली स्थिति में बुनियादी फर्क यह है कि अब अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूरी तरह नियंत्रण है। कीमतें बढ़ने के कारण स्थिति बिगड़ने पर काबू पाने के लिए अनाज और विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। पिछले अप्रैल और अब तक की अवधि के बीच थोक कीमतों के सूचक अंक की वृद्धि इस समय चिन्ता का मुख्य कारण बनी हुई है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि भी चिन्ता का एक अन्य कारण है। इस वजह से रिजर्व बैंक ऋण प्रतिबंधों को और कड़ा करने पर विवश हो गया है। परन्तु कीमतों की स्थिति किसी भी हालत में निराशाजनक नहीं है। 1976 के पूरे वर्ष में कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर रही हैं। 1975 की समाप्ति के साथ जो उपभोक्ता अंक था, 1976 के अंत में लगभग वही बना रहा। 1976 के 12 महीनों की औसत में लगभग पूरे वर्ष गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिली।

इसलिए थोक-कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य तेल और कपास हैं। कीमतों में वृद्धि को रोकने और कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें आयात को उदार बनाना शामिल है।

पिछले दो वर्षों में कृषि और औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। सरकार के पास एक करोड़ आठ लाख टन अनाज का भंडार है। इस वर्ष के औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 10 से 12 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस्पात और धातु, नाइट्रोजन उर्वरक तथा सीमेंट और वनस्पति जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। इस्पात अधिक उठाया गया है और खानों के बाहर जमा कोयले को उठाने की कोशिश की जा रही है। 1975 में मोटर गाड़ी उद्योग में मंदी की स्थिति पर भी काबू पा लिया गया है। पूंजीगत माल बनाने वाले उद्योगों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। विद्युत और परिवहन की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है।

1975-76 में हुई उल्लेखनीय प्रगति होने की झलक राष्ट्रीय आय वृद्धि में मिलती है जो अनुमानतः 5.5 प्रतिशत बढ़ी है। कीमतों में वृद्धि और कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में सफलता के बावजूद भी 1976-77 में विकास की दर काफी अच्छी रही है।

यह अनुमान लगाना उचित होगा कि जब तक अगले वर्ष की वार्षिक योजना और बजट नीति निर्धारित होकर नई संसद के सामने पेश नहीं हो जाती, मुख्य ध्यान मुद्रा और कीमतों संबंधी नीतियों पर ही रहेगा। सरकार ने उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए खाने के तेल, कपास और कृत्रिम रेशे के आयात को उदार बना दिया है। सरकार के इस निश्चय को कि कीमतों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा भी कई बार दोहराया गया है। कम उपलब्ध वस्तुओं को बाहर से मंगा कर देश में पूर्ति बढ़ाने तथा ऋण देने में संयम बरतने से कुल मिलाकर कीमतें कम होंगी और अगले वर्ष के लिए विशाल पैमाने पर पूंजी लगाने के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा।

अन्तिम रूप से तैयार की गई पांचवीं योजना के अनुसार 1977-78 में सार्वजनिक क्षेत्र में 9,500 करोड़ रुपए से भी अधिक व्यय के लिए व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि के कारण भी अर्थव्यवस्था में अधिक पूंजी लगाना सुविधाजनक रहेगा। औद्योगिक विकास के साथ-साथ इस योजना में सामाजिक और आर्थिक नीतियों को जिनमें आर्थिक कार्यक्रम भी शामिल हैं और कार्यान्वित करने में प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं दोनों पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों

की और सहायता करने के लिए कहा गया है। सूती कपड़ा, पटसन, चीनी, सीमेंट, और इंजीनियरी उद्योगों को आधुनिक बनाने के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने की योजना शुरू की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से कहा गया है कि वह ऋण नियंत्रण की सीमा में रहकर भी अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों जैसे कि कृषि, विशेषकर छोटे किसान, लघु उद्योग और निजी काम-धंधा करने वाले लोगों को पहले से अधिक कर्जा दें। बैंकों से यह भी आशा की जाती है कि वे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से एकत्रित जमा राशि का 60 प्रतिशत इन्हीं क्षेत्रों में उधार के रूप में दें।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल में ऋणों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों की उद्योगों ने इस आधार पर आलोचना की इससे उत्पादन और निर्यात के प्रयत्नों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भू० पू० वित्तमंत्री, श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने स्पष्ट किया था कि वास्तविक उत्पादकों, निर्यात करने वालों और आम इस्तेमाल की चीजें तैयार करने वालों को कठिनाई नहीं होगी।

1977 के लिए निर्यात स्थिति बहुत आशाजनक है। संसार में बदलती आवश्यकता और कीमतों को ध्यान में रखते हुए हमारा देश निर्यात में विविधता ले आया है। इस वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों में व्यापार भारत के अनुकूल रहा है परंतु इस वर्ष के आखरी छह महीनों में आयात करने की संभावना है। फिर भी पिछले वर्ष के 1200 करोड़ रु० के व्यापार घाटे की तुलना में इस वर्ष का घाटा काफी कम रहेगा।

जैसे-जैसे विकास होता है अर्थव्यवस्था के सामने नई समस्याएं आती है। अतीत में नीति का उद्देश्य कमी के कारण उत्पन्न समस्याओं पर काबू पाना था जबकि आजकल समस्याएं बहुलता की हैं। इनका उपयोग सोच-समझ कर विवेकपूर्ण ढंग से इस प्रकार करना है कि स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिले। वर्तमान समस्याओं से निपटते हुए भी राष्ट्र को चाहिए कि वह अपने दीर्घकालीन उद्देश्यों को अपनी आंख से ओझल न होने दे। ★

आस्तीन के सांप ★ राम प्रकाश राही

हवा फांकते,
धुआं उगलते,
चलते फिरते, कंकालों का जकड़ा जीवन,
गोया कि सारी की सारी पीड़ित पीढ़ी,
अब देखो तो, अब समझो तो.
नये रंग में, नये ढंग से,
धरती पर आबाद हुई है
सही रूप में संकट से आजाद हुई है
क्योंकि साथी
हम लोगों ने
संघर्षों के दांव-पेच में घेर-घेर कर
खून-चूसते, हड्ड चबाते
देश के बीच विदेशी अजगर
ताड़ दिए थे, मार दिए थे।
लेकिन वे जहरीले सांप
जो समाज की आस्तीन में
गुप्त रूप में पनप रहे थे
खुद रस्ते पर क्या आये हैं
हमने उनको
ताड़ दिया है
मार दिया है

—बी-58, पंडारा रोड,
नई दिल्ली

यह भारतवर्ष है ★ वेद व्यास

यह भारतवर्ष है
अमन और चैन की धरती
विजय बलिदान की धरती
यह भारतवर्ष है।
यहां हर द्वार पर श्रम का सवेरा मुस्कराता है
नये निर्माण का सपना सृजन के गीत गाता है
यहां हर जिन्दगी में जागरण का भोर आया है
नये विश्वास ने सहकार से जीना सिखाया है
यह भारतवर्ष है...।
यहां हर खेत और खलिहान नवयुग की कहानी है
चढ़ाने के लिए निज रक्त, आतुर हर जवानी है
यहां कल-कारखानों में अतुल फौलाद ढलता है
नये भारत में उद्योगों का नूतन चक्र चलता है
यह भारतवर्ष है ...।
यहां गांधी, जवाहर ने नई राहें बताई हैं
हमारी चेतना गंगा और यमुना में नहाई हैं
यहां इन्सान में इन्सानियत का दीप जलता है
नये अभियान का जय गीत कंठों में मचलता है।
यह भारतवर्ष है ...।

—आकाशवाणी
जयपुर-302006 (राज०)

मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण

मध्य प्रदेश ने परिवार नियोजन के क्षेत्र में भारी सफलता प्राप्त करके दूसरे राज्यों को आश्चर्य में डाल दिया है। यह राज्य, जो अभी तक बहुत धीमी गति से चल रहा था अब सबसे आगे निकल गया है। 1976-77 के लिए नसबन्दी के निर्धारित लक्ष्य को केवल पांच महीनों में (अगस्त 76 तक) ही प्राप्त कर लेने वाला यह प्रथम राज्य है। दूसरे ही महीने में वार्षिक निर्धारित लक्ष्य को दुगना कर देने वाला भी पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। 14 दिसम्बर तक राज्य में 8 लाख से भी अधिक लोगों की नसबन्दी की गई जबकि केन्द्र सरकार ने 2,67,500 व्यक्तियों की नसबन्दी का लक्ष्य रखा था। इस प्रकार वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 300 प्रतिशत नसबन्दी करने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है।

राज्य के पिछले वर्षों के कार्यों को तथा रास्ते में आने वाली विशेष कठिनाइयों को देखते हुए यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

यमुना नदी से गोदावरी नदी तक 343,408 वर्ग कि० मी० में फैला हुआ मध्य प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसकी सीमा सात राज्यों की सीमाओं को छूती है। इसकी जनसंख्या 4.75 करोड़ व्यक्तियों की है जो विभिन्न जातियों से संबंध रखते हैं। राज्य में प्रत्येक तीन व्यक्तियों में एक व्यक्ति हरिजन या आदिवासी है। यहां आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। इनकी जाति झाबुआ से बस्तर तक फैली हुई है।

राज्य के 20 वर्षों का इतिहास उल्लेखनीय उपलब्धियों और खोये अवसरों की मिली-जुली कहानी है।

प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से यह राज्य काफी समृद्ध है। यहां अभी तक उनका पूरा दोहन न हो पाने के कारण यह राज्य दूसरों के मुकाबले गरीब व पिछड़ा रह गया है। यहां पर 42 प्रतिशत भू-स्वामियों में प्रत्येक के पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है तथा राज्य में करीब 50 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर हैं।

समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर आदिवासी, सदियों पुराना दृष्टिकोण रखने की वजह से हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं परन्तु फिर भी अपनी पुरानी लीक पर चल रहे हैं। सदियों की बंधुआ मजदूरी और कर्ज ने उनकी परिवर्तन लाने की चाह को खत्म कर दिया है।

राज्य के मुख्य मंत्री, श्री श्यामाचरण शुक्ल का कहना है कि इस अविकसित और पिछड़ेपन की पृष्टभूमि के विरुद्ध, 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें कमजोर वर्गों के विकास पर बेहद जोर दिया गया है, मध्य प्रदेश के लिए आशा की नई किरण है।

राज्य अब नई करवट बदलने लगा है। इसे पहले ही कई क्षेत्रों में प्रथम स्थान पाने का श्रेय प्राप्त है। मध्य प्रदेश, देश में पहला राज्य है जिसने नया कानून लागू करके आदिवासियों, हरिजनों, सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों और हस्तशिल्पियों को ऋण मुक्त कर दिया है। बंधुआ मजदूरी समाप्ति से सदियों से बने गुलामों के लिए आशा और जागृति का एक नया युग आरम्भ हुआ है।

राज्य के मुख्य मंत्री ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को नयी दिशा दी।

श्री शुक्ल का कहना है कि मध्य प्रदेश को आमतौर पर छितरी हुई आबादी वाला राज्य समझा जाता है। फिर भी इस समय हमारी जनसंख्या लगभग 4.7 करोड़ होने के कारण यहां प्रति व्यक्ति आय बाकी देशों के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय से कुछ कम रही है। मुझे कभी-कभी यह सोच कर चिन्ता होने लगती है कि अगर हम अपनी 2.8 प्र०श० की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि को, जो कि सामान्य से थोड़ी अधिक है, नहीं रोक पाए तो प्रति व्यक्ति आय और भी घट सकती है।

बहुत से पिछड़े इलाकों में यह मिथ्या धारणा घर कर चुकी है कि नसबंदी से कमजोरी आती है। इन सभी गलत धारणाओं को हटाना होगा। हमें उन्हें यह अच्छे प्रकार समझाना होगा कि अधिक बच्चों का मतलब है, प्रत्येक वस्तु का और अधिक अभाव तथा, और अधिक चिन्ताएं जबकि कम बच्चों का मतलब है बहुत कम चिन्ताएं और इस प्रकार, अधिक सुरक्षा।

निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को पहले ही पार किया जा चुका है। यह हम, उचित वातावरण तैयार करके और व्यक्ति विशेष, समाज, पंचायत और पूरे जिले को प्रोत्साहन देने के बाद ही कर सके।

हमें जनसंख्या नियंत्रण और देश में मौजूद प्रत्येक बहुमूल्य वस्तु के संरक्षण के लिए जी-तोड़ कोशिश करनी होगी।

मध्य प्रदेश में 1976-77 का वर्ष परिवार नियोजन के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय रहा है। राज्य के कुल 44 जिलों में से 43 जिलों ने अपने निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को पहले ही पार कर लिया है। सभी जिलों में लोगों को नसबन्दी कराने के लिए प्रेरित करने के लिए, विशेषकर गांवों में, आपस में होड़ लगी हुई है। दो जिलों में छः गुना, तीन जिलों में पांच गुना, पांच जिलों में चार गुना, पांच और जिलों ने तीन गुना, 7 जिलों ने दो गुना, और 21 जिलों ने अपना वार्षिक लक्ष्य पार कर लिया है। परिवार नियोजन के क्षेत्र में इन आठ महीनों में हुई प्रगति पिछले सात वर्षों में हुई प्रगति के बराबर हैं।

अगर यह प्रगति इसी प्रकार चलती रही तो इस वर्ष के अंत तक 10 लाख लोगों की नसबन्दी की जा सकेगी।

राजनीतिक समर्थन

मध्य प्रदेश इतना कुछ कैसे कर सका? यह स्पष्ट है कि इतनी बड़ी सफलता बिना राजनीतिक समर्थन के संभव नहीं थी। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि कार्यक्रम को लागू करने की प्रेरणा खुद राज्य के मुख्य मंत्री जी से मिली। उन्होंने हर सार्वजनिक सभा में छोटे परिवार की आवश्यकता पर विशेष बल दिया और इसका महत्व बताया। परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने न केवल अन्य विभागों के कर्मचारियों और उच्च अधिकारियों को ही सहयोग देने का निर्देश दिया बल्कि स्वास्थ्य अधिकारियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए उचित व्यवस्था करने की अपील की। उन्होंने जन-नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सरकार से सहयोग करने को कहा। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम निकले हैं।

मुख्य मंत्री जी के पदचिन्हों पर चलते हुए राज्य के मंत्री श्रीधर मिश्र ने भी छोटे परिवार का आदर्श अपनाने के लिए उचित वातावरण बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किए।

छोटे परिवार की धारणा को लोकप्रिय बनाने में मिली सफलता, ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित और प्रेरित करने के उपरान्त ही संभव हो सकी, जो पहले सीमित परिवार की महत्ता पर उचित ध्यान नहीं दे रहे थे। राज्य प्रशासन, पुरुषों को यह बात समझाने में सफल रहा कि वे अपनी पत्नियों की नसबन्दी कराने की अपेक्षा अपनी नसबन्दी को प्राथमिकता दें। इसका परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहा। राज्य में किए गए कुल नसबन्दी आपरेशनों में से 92 प्रतिशत पुरुषों के तथा 8 प्रतिशत आपरेशन महिलाओं के हुए जबकि पिछले वर्ष 42 प्रतिशत पुरुषों के और 58 प्रतिशत आपरेशन महिलाओं के हुए थे।

राज्य के स्वास्थ्य सचिव श्री प्रेमनाथ ने बताया कि इस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम को महत्वपूर्ण ढंग से प्रारंभ किया गया। नसबन्दी के लिए व्यक्तियों को प्रेरित करने और अन्य सुविधाओं व सेवाओं की सभी जिम्मेदारी बजाय स्वास्थ्य विभाग पर डालने के लिए विभागों पर भी डाली गयी। इसका नतीजा बहुत अच्छा निकला जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य विभाग बेहतर सेवा कर सका। इससे डाक्टरों को और अधिक आपरेशन करने में मदद मिली। नसबन्दी के लिए लोगों को लाने के लिए राजस्व विभाग, शिक्षा और पंचायतों का सहयोग तथा उचित वातावरण बनाने के लिए समाज युवा संगठनों का कार्य बहुत सहायक सिद्ध हुआ।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि परिवार नियोजन की सीमा में आने वाले सभी कर्मचारी 6 दिसम्बर तक अपना नसबन्दी आपरेशन करवा लें। इसका बहुत अच्छा असर हुआ है। यह सामयिक और कठोर कदम उठाये जाने के परिणामस्वरूप बहुत से कर्मचारियों ने परिवार नियोजन अपना लिया।

प्राथमिक स्कूलों के लगभग 10,000 अध्यापकों, करीब 40,000 पटवारियों और लगभग 30,000 ग्राम सेवकों को ये निर्देश दिए गए थे कि वर्ष के दौरान प्रत्येक कम से कम एक-एक व्यक्ति को नसबन्दी कराने के लिए लाएं। इसी प्रकार राज्य की 14,000 ग्राम पंचायतों को भी प्रति पंचायत 12 मामले लाने के निर्देश दिए गए। सहकारिताओं से भी सहयोग की आशा की गई।

आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए राज्यों ने अपने बजट में से 30 लाख रुपए मूल्य के इनाम रखे। प्रथम जिले को एक लाख रुपए, दूसरे जिले को 75,000 रुपए तथा तीसरे जिले को 50,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक जिले में सबसे अग्रणी जनपद 50,000 रुपए के नकद पुरस्कार का हकदार होगा।

मध्य प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम की एक खास विशेषता यह नहीं है कि इसमें आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों ने खुलकर भाग लिया है बल्कि राज्य के अल्प संख्यकों ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के सहयोग दिया है।

माता और शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सेवाओं के इस मिले-जुले कार्यक्रम पर बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है। बच्चों की देख-रेख तथा माता व शिशु को बीमारियों से बचाने के लिए किए जा रहे उपायों से लोगों में नया विश्वास पैदा हुआ है जिसके परिणामस्वरुप अब लोग परिवार नियोजन अपनाने में तेजी से आगे आ रहे हैं।

★

आज की फजूल खरची, कल का दुःख, आज की बचत, कल का सुख

दु:खद स्वप्न

एल० जी० भाटिया

गणतंत्र दिवस से छः दिन पहले 20 जनवरी, 1977 की रात को एक दुःखद स्वप्न देखा और मन ने यही कहा कि वह स्वप्न वर्षो तक सच्चा न हो। दूसरी सुबह अपने परिवार को वह स्वप्न बतलाया। मेरे बेटे ने कहा कि दादा जी अर्थात् मेरे पिता जी कहा करते थे कि जिस किसी की मृत्यु का दृश्य स्वप्न में देखा जाता है उसकी आयु बड़ी होती है, लेकिन अफसोस कि यह पिता जी का कहना इस बार सच न निकला।

जब से अहमद साहब कृषि मंत्रालय के मंत्री बने तब से उनसे थोड़ा सा संपर्क रहा। यद्यपि वह मुझे नाम से नहीं जानते थे। केन्द्रीय सहकारिता विभाग में अवर सचिव (समन्वय) होने के नाते कई बैठकों व सम्मेलनों में अहमद साहब का स्वागत करने व उनके निकट बैठने का अवसर मुझे सौभाग्य से प्राप्त हुआ।

स्वप्न में देखता हूं कि मैं राष्ट्रपति भवन में पहुंच गया हूं और अहमद साहब से मुलाकात होती है। वे पूछते हैं कि सहकारिता का कार्यक्रम कैसे चल रहा है?

मैंने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक चल रहा है सहकारिता का कार्यक्रम। आपने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, उन्होंने कहा यदि मुझे गणतंत्र दिवस के परेड में वी० आई० पी० कक्ष का पास दिलाएं तो अपने परिवार को परेड अच्छी तरह दिखा सकूं। मैंने उनसे प्रार्थना की। बस यह तो बहुत ही मामूली बात है, आओ मैं अभी तुम्हें पास दिलवाता हूं। अहमद साहब बोले।

मुझे अन्दर वाले कमरे में ले गए, जहां उनका आफिस था। वहां तीन चार व्यक्ति काम कर रहे थे। एक अधिकारी से बोले 'भाटिया साहब को वी० आई० पी० कक्ष का पास दे दो'। यह कह कर वे कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़े और गिर पड़े। मैंने सहारा दे कर उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया परन्तु वे निर्जीव से प्रतीत हुए। स्वप्न खत्म हुआ।

यह दुःखद स्वप्न तीन ही हफ्तों में सत्य हो जाएगा जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। पिता जी से सुनी बात को ध्यान में रखते हुए मैं तो सोचता था कि उनकी आयु बहुत लम्बी होगी।

यह तो रही स्वप्न की बात। अहमद साहब के गुणों के बारे में कई महान लोगों ने महान बातें कहीं हैं और मैं भी कुछ निजी अनुभव से उनके गुणों के बारे में कहूंगा।

अहमद साहब के चेहरे पर सदा एक मुस्कान बनी रहती थी, मानों मुस्कान उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग हो। उनके चेहरे से सदैव प्रसन्नता टपकती थी और उनकी मुस्कान एक वास्तविक मुस्कान थी न कि बनावटी। वे सदैव बहुत ही सहज व सरल प्रतीत होते थे जिसको देख कर सभी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे।

उनका दूसरा गुण था उनका धैर्य। वह कभी भी बैठकों और सम्मेलनों की अध्यक्षता करते समय किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते थे। सबको बोलने का अवसर सदैव देते थे। कोई भी बोलते समय ऐसा अनुभव नहीं करता था कि वे उसकी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं।

बैठक या सम्मेलन की अध्यक्षता में चर्चा के विषय का उन्हें सवश्रेष्ठ ज्ञान होता था। उनके निर्णय सदैव उचित होते थे।

सन् 1973 के जनवरी महीने में उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन गोहाटी में रखने का निर्णय किया। मेरा अनुमान है कि उनकी इच्छा यह थी कि वे मंत्रिगणों आदि को यह देखने का अवसर दें कि असम निवासी अपने अतिथियों का कितना आदर सत्कार करते हैं। परन्तु सम्मेलन की तिथि से एक सप्ताह पहले उनके किसी निकट संबंधी की मृत्यु के कारण उसे स्थगित करना पड़ा। सब लोगों को तार, पत्र व टेलीफोन द्वारा सूचित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में यह शंका हुई कि क्या यह सम्मेलन दुबारा होगा या नहीं और यदि होगा तो गोहाटी में ही होगा या कहीं और। कुछ महीनों के बाद सम्मेलन गोहाटी में ही हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और उससे भी अधिक अहमद साहब ने अपने उद्घाटन भाषण में उपस्थित लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। यह स्पष्ट था कि उनको सम्मेलन में आये लोगों को असम में (जहां के अहमद साहब रहने वाले थे) देख कर और उनका स्वागत करने में उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही थी।

कई बार देश-वासियों के नाम वे स्वतंत्रता दिवस पर अपने संदेश में सहकारी समितियां बनाने को कहते थे। यह इस बात का प्रमाण है कि उनके मन में समानता की भावना बहुत प्रबल थी।

सब देशवासी आज यही दुआ करते हैं कि उनकी रूह को शान्ति मिले।

★

---

1. **ईमानदार और नम्र कर्मचारी की सभी कद्र करते हैं। सर्वोत्तम लक्ष्य-पहले परमार्थ फिर स्वार्थ।**
2. **हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं।**
3. **आगे बढ़ता देश हमारा—आओ इसे महान बनाएं।**
4. **मुद्रास्फीति से लड़ाई में भारत विजयी।**
5. **कड़ी मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं।**

नौकरी का प्रस्ताव

रामकृष्ण सुधाकर

सब जानते थे कि दुलीचन्द के बनाये जूते मजबूत होते थे। वह गांव में अपने स्वर्गीय पिता की दुकान पर बैठकर जूते बनाता था। उसने आठवीं कक्षा ही पास की थी कि उसके पिता का देहान्त हो गया था। उसके दो भाई शहर में एक दफ्तर में चपरासी थे।

वह अच्छे व टिकाऊ बूट व सुन्दर जूते बनाने में कुशल था, उसने यह कला अपने पिता से सीखी थी। इस काम से वह अपना व मां का पेट पालता था।

एक दिन दुलीचन्द का सबसे बड़ा भाई गांव आया। उसने दुलीचन्द से कहा, 'मैंने तेरे लिए एक दफ्तर में नौकरी पक्की कर ली है। चपरासी का काम है। तुझे ढाई सौ रुपए मिलेंगे, इतनी अच्छी नौकरी और कहीं नहीं मिलेगी।'

दुलीचन्द ने कहा, 'मैं गांव नहीं छोड़ूंगा। मैं जूते बना कर और बेच कर ही गांव में गुजर कर लूंगा।'

दुलीचन्द के भाई ने कहा, 'गांव में क्या रखा है। यहां कोई भी सुविधा नहीं है। यहां तुझे कौन नौकरी देगा।'

दुलीचन्द ने कहा, 'अब गांव में सब सुविधाएं हैं जो शहर में मिलती हैं।' बिजली है, पानी का प्रबन्ध है, हाई स्कूल है और डिस्पेंसरी है। शहर चला गया तो दुकान का क्या होगा? यदि इसी प्रकार सब गांव छोड़कर चले गए तो गांव का क्या होगा?'

दुलीचन्द इरादे का पक्का था। वह भाई के साथ नौकरी करने के लिए शहर नहीं गया।

कुछ दिन बाद गांव में बैंक की एक शाखा खुली। एक छोटा सा समारोह हुआ। बैंक मैनेजर ने गांव वालों को उनके व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए ऋण देने का आश्वासन दिया।

दुलीचन्द ने पांच सौ रुपए के ऋण के लिए प्रार्थना पत्र दिया। बैंक मैनेजर एक भला आदमी था। वह उसकी दुकान देखने आया। उसके बनाए हुए मजबूत जूतों को देखा। उसे पांच सौ रुपए का ऋण दे दिया गया।

उसने चमड़ा खरीदा। दिन रात लगकर जूते बनाये। वह परिश्रमी था। हाथ में सफाई थी। जूते बनाकर शहर ले गया। जूतों की एक दुकान के मालिक से सौदा हो गया। उसे जूते बहुत पसंद आए। उसने सारे जूते खरीद लिए। उसने दुलीचन्द को बूटों का एक जोड़ा दिया जिसकी नकल कर उसे पचास जोड़े बनाकर लाने को कहा।

दुलीचन्द ने बड़ी मेहनत से उस बूट की नकल का एक जोड़ा तैयार किया और दुकानदार को दिखाया। उसे बूट पसंद आए।

दुलीचन्द का काम चल निकला। अगले महीने दो सौ चप्पलों का भी आर्डर मिल गया। वह बड़ी लगन से मजबूत व सुन्दर जोड़े बनाता था।

अब शहर का दुकानदार उसके जूतों का स्थायी ग्राहक बन गया। दुलीचन्द ने बैंक का ऋण चुका दिया। इस बार बैंक ने एक हजार रुपए का ऋण भी दिया। काम बढ़ जाने के कारण उसने एक अन्य युवक को सहायक के रूप में रख लिया।

दुलीचन्द के जूते व चप्पलें शहर में बिकने लगी। शहर के अन्य दुकानदार भी उसकी दुकान पर आने लगे। जूतियां, बूट व चप्पलों के आर्डर के साथ उसे अग्रिम धन राशि भी मिलने लगी।

एक ही वर्ष में उसने अपने काम को काफी बढ़ा दिया। बैंक का ऋण भी चुका दिया। उसकी दुकान पर अब दो सहायक थे।

नौकरी का प्रस्ताव लेकर उसका भाई एक बार फिर आया। दुलीचन्द का काम व नाम देखकर वह चकित रह गया। उसने कल्पना भी न की थी कि गांव में इतना अच्छा धंधा चल सकता है। नौकरी का प्रस्ताव रखने का उसे साहस ही न हुआ। घर का भी नक्शा बदल चुका था।

दुलीचन्द ने अपने भाई के सामने दुकान की साझेदारी का प्रस्ताव रखा। मासिक वेतन से दुगनी धनराशि पाने का प्रस्ताव पा कर उसका भाई चकित रह गया।

अगले महीने दुलीचन्द अपने भाई को गांव ले गया। अब दोनों भाई मिल कर जूतों की दुकान चलाने लगे। ★

धन्य है, आपके सिर पर पत्नी की छत्र-छाया है

'बिन्दु-भारती'

बंधुआ मजदूरों में आशा और विश्वास जागा

एक सरदार उड़ीसा के श्रमिकों के पास पहुंचा। उसने कहा "मैं तुम्हें तुम्हारे काम के अनुसार 40 रु० से 200 रुपए तक दूंगा। मैं तुम्हारे गंतव्य तक का रेल-भाड़ा भी दूंगा। तुम्हें प्रतिदिन एक किलोग्राम चावल मिलेगा और सब्जी-दाल आदि के लिए 25 पैसे अतिरिक्त दिए जाएंगे।"

एक सीधा-सादा श्रमिक उसकी बातों में आ गया। उसने बिना किसी निर्धारित कार्यावधि और अवकाश के काम करना शुरू किया। सप्ताह के सभी दिनों उसने 15 से 16 घंटे रोज काम किया पर उसको सीधे कोई वेतन नहीं दिया गया। वेतन दिया गया खेतदार या सरदार (जैसा कि उसे पुकारा जाता था) को। उड़ीसा सरकार द्वारा उड़ीसा दादन श्रम नियंत्रण और विनियम कानून 1975 पारित किए जाने तक श्रमिक को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था।

कानून के अनुसार दादन श्रमिकों की भर्ती करने वाले ऐजेंटों को अब पंजीकरण कराना आवश्यक है। न्यूनतम वेतन कानून के अंतर्गत उन्हें वेतन और नौकरी की शर्तों से सहमत होना पड़ेगा। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों में से यह केवल एक कदम है। देश में अभी तक 89,198 बंधुआ मजदूरों का पता चला है जिनमें से 88,618 को मुक्त कराया गया है और 21,230 पुनर्वासित किए गए हैं। बृहत रूप में बंधुआ मजदूर प्रणाली के उन्मुलन में उनका पता लगाना, उन्हें मुक्त कराना और पुनर्वासित करना शामिल है।

बंधुआ मजदूर प्रणाली के उन्मूलन के प्रश्न पर 5-6 मार्च, 1976 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया। बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण आरंभ करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जनजातियों के आयुक्त और आदिम जाति अनुसंधान संस्थान की भी सहायता प्राप्त करने के लिए कहा गया था।

जहां तक बंधुआ मजदूरों का पता लगाने का संबंध है, 8 को छोड़कर सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के अनुसार उनके यहां कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। फिर भी इन राज्यों में किसी न किसी रूप में इस प्रणाली के अस्तित्व की शिकायतें मिली हैं। स्वायत्त संगठनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इन विभिन्न राज्यों में बंधुआ मजदूर प्रणाली के अस्तित्व का पता चलता है। इस प्रणाली के अस्तित्व का पता लगाने के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षणों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जनजातियों के आयुक्त, राष्ट्रीय श्रम संस्थान, भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण संस्था, राज्य आदिम जाति अनुसंधान संस्थान आदि तथा अन्य विशिष्ट एजेंसियों का और अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में आर्थिक कार्यक्रम से सम्बंधित प्रस्तुत प्रपत्रों के अनुसार इन संस्थानों के विचारों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

नवम्बर, 1975 में हुई सचिवों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बंधुआ मजदूरों को कुछ वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। ये योजनाएं हैं...आवासीय स्थानों का वितरण, कृषि भूमि का आवंटन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जनजाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं, कृषि कार्यों के लिए ऋण और कम दरों पर विकास ऋण। मुख्यमंत्रियों के पिछले सम्मेलन में भी इस बात का समर्थन किया गया था और सिफारिश की गई थी कि राज्यों को अपनी योजना बनाते समय मुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए।

26 अक्तूबर, 1976 को श्रम मंत्रियों के 28वें सम्मेलन में श्रम मंत्रियों ने कहा था कि वर्तमान विकास योजनाएं मुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए अपर्याप्त है, विशेषतौर पर उन क्षेत्रों में जहां बंधुआ मजदूर अधिक संख्या में हैं। इसीलिए केन्द्र से सहायता प्राप्त करने की उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, आंध्रप्रदेश और तामिलनाडु सरकार द्वारा बनाई गई पुनर्वास योजनाओं का अब अध्ययन किया जा रहा है।

आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी यह कहा गया कि बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) कानून, 1976 की धारा 13 के अंतर्गत सभी जिलों और उपमंडलों में समितियां गठित की जाएंगी और कानून की उचित कार्यान्विति के लिए जिला न्यायाधीशों और कार्यवाही करने के लिए निर्धारित अधिकारियों को आवश्यक अधिकार दिए जाएंगे।

भारत उस लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ रहा है जबकि हम गर्वपूर्वक यह कह सकेंगे कि प्रत्येक भारतीय जन्म से ही स्वतंत्र और समान है।

★

कहानी

श्रम ही जादू ★ दुर्गाशंकर त्रिवेदी

मुस्कान उसके होठों से फिसल फिसल पड़ रही थी ! हरियाणा का वह अलमस्त सा किसान भूलेसिंह अपने आप में एक अजीब जीवट का आदमी था। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता वह रात को बढ़िया खाना खाकर चौपाल पर अनुशासित माहौल की गपशप करता आकर मस्ती से गीत गुनगुनाता, गुनगुनाता आकर सो जाया करता।

खेतों में जब वह हल बक्खर के साथ पसीना बहाता तो देखते ही बनती थी उसकी छटा। उसकी यह तन तोड़ मेहनत आखिर रंग लाती ही थी। पैदावार खूब होती और इतनी होती कि उसकी जेब नोटों से और कोठिले अन्न से भर जाते। देखते ही देखते वह गरीब सा किसान सम्पन्नता में बड़े बड़े किसानों को पीछे छोड़ने लगा। लोगों को उसकी यह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आंखों ही आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी। अब जहां भी कहीं गांव के दो चार दकियानूसी युवक या बुजुर्ग किस्म के हुक्के बाज किसान मिल बैठते तो उसकी ही चर्चा शुरू हो जाया करती थी। हर किसी के मन मस्तिष्क पर भूलेसिंह की धन फैंकती खेती अपना प्रभाव जमाती गई। लोग उसे कभी छेड़ भी देते :—

"अरे यार भूलेसिंह ! तुम्हारे खेत तो दौलत लुटा रहे हैं प्यारे। ऐसा कौन-सा जादू टोना कर रक्खा है, जरा हमें भी तो बतला दो भैय्या।"

भूलेसिंह ऐसी बे सिर पैर की बातों को गम्भीरता से नहीं लेता और मुस्करा कर उस ऊपर वाले की दुआ है प्यारे भाई।" कह कर चल देता।

तभी एक दिन एक ओझा किस्म के वृद्ध किसान की चौपाल पर चर्चा चली तो उसने बड़े ही नाटकीय ढंग से कहना शुरू किया :—"अरे आप लोग न जाने किस नींद में सो रहे हैं। इस भूलेसिंह ने इस गांव के खेतों पर जादू टोना कर रक्खा है। देख लो साफ फर्क नजर आता है कि नहीं। इसी जादू टोने के कारण सिर्फ इसकी ही फसलें लहलहाती नजर आती हैं। बाकी लोगों की फसलें कमजोर की कमजोर ही रह जाती हैं। अरे मेहनत में दूसरे भी कौन कसर रखते हैं। सब करते ही हैं।"

चौपाल के वृद्ध किसानों ने ओझा की यह बात बड़ी गम्भीरता से सुनी।

एक वृद्ध ने उसकी 'हां' में 'हां' मिलाई और बड़ी ही अदा से सोच विचार कर कहा—"यह सही कह रहा है। जरूर भूलेसिंह ने किसी तांत्रिक से कुछ करवा दिया है। मेहनत तो खेतों में हम सब भी कर ही रहे हैं, न। फिर खाद, पानी और जलवायु वाले खेतों में उसका ही अधिक अनाज क्यों पैदा होता है। जरूर उसने कुछ न कुछ जादू टोना टोटका कर रक्खा है, हमें किसी न किसी तरह से इसकी तहकीकात करनी चाहिए।"

तभी एक किसान ने प्रस्ताव रक्खा कि हमें जल्दी से जल्दी भूलेसिंह के द्वारा कराये गये टोने टोटकों से ग्राम की जमीन को मुक्त कराना चाहिए। यदि भूलेसिंह को हमारे द्वारा अभी नहीं दबाया गया तो यह जादू और भूलेसिंह दोनों ही आगे जाकर और भी भारी पड़ेंगे।"

चौपाल के लोगों को यह प्रस्ताव पूरी तरह से गले के नीचे तक उतर गया। उन्होंने आपस में मुकदमे बाजी के खर्च के लिए चन्दा अभियान चलाया और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भूलेसिंह के खिलाफ एक दावा दायर कर दिया। इस दावे की चर्चा बड़ी हुई, क्योंकि था भी यह अपनी किस्म का एक ही दावा।

न्यायाधीश ने प्रतिवादी के ऊपर लगाये गये जादू टोने की बात को जरा गम्भीरता से लिया और गांव वालों को समझाया कि ऐसा कुछ भी सम्भव नहीं है। इस तरह के अंधविश्वासों का जमाना लद गया। लेकिन गांव वालों की समझ में कुछ भी नहीं आया। वे पूरी तरह आश्वस्त थे कि भूलेसिंह ने जादू करवा रक्खा है। अन्त में न्यायाधीश ने भूलेसिंह को अदालत में अपनी इस तरह तेजी से हो रही उन्नति के प्रमाणों सहित बुलवाने के लिए तारीख डालकर सम्मन निकलवा दिया। किसान अब आश्वस्त थे कि भूलेसिंह प्रमाण में ले जाएगा वह जो भी होगा टोना टोटका जरूर होगा।

इधर भूलेसिंह को सम्मन मिला तो वह खूब हंसा। उसने अपनी समझदार पत्नी से सलाह लीं। पत्नी ने उसे अदालत में शानदार बैलों की जोड़िया, उन्नत किस्म के हल, बढ़िया बीज और परिवार के सदस्यों सहित सबको पेश कर देने की सलाह दी।

निश्चित तिथि पर भूलेसिंह अदालत में अपने प्रमाणों की भीड़ सहित पहुंचा। न्यायाधीश ने उससे पूछा :—"भाई भूलेसिंह ! तुम तो वाकई जादूगर ही लगते हो। तुमने तो गांव वालों पर जादू कर रक्खा है। तुम्हारे इस जादू से तुम्हारे खेतों में फसल तो बहुत बढ़िया होती है। साथ ही साथ गांव के लोगों की फसल बरबाद होती जाती है। गांव के सीधे सादे किसानों ने तुम्हारे ऊपर यह आरोप लगाया है कि तुम्हारा यह जादू गांव वालों का जान लेवा जादू है ! इस बारे में तुम्हें कुछ कहना है क्या ?"

भूलेसिंह तो अलमस्त किस्म का जीव था ही। वह और मुस्कराया बोला :—"आप ठीक ही फरमा रहे हैं जज साहब। मैंने गांव वालों के खेतों पर तो नहीं पर अपने खेतों पर अवश्य ही जादू कर रक्खा है। यह जादू मैं नहीं करता, तो मैं भी इन गांव वालों की

तरह नंगा भूखा दाने दाने को मोहताज बना रह कर किसी न किसी पर टोने टोटके का आरोप लगाता होता ।"

जज साहब को भूलेसिंह से इस तरह के उत्तर की उम्मीद ही नहीं रही होगी। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले :—"अच्छा तो भूलेसिंह ! तुमने अपने खेतों में जादू किया ही है, तो इसका तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत भी है क्या ?"

"हां सरकार ! आपने जारी किए सम्मन में प्रमाण भी साथ लाने को कहा था। इसलिए मैं अपने उन अजीबो गरीब प्रमाणों को साथ ही लाया हूं और वे अदालत के अहाते में खड़े वकीलों मुवक्किलों और आते जाते लोगों में एक एक नई जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं ।"

"अच्छा तो बतलाओ वे क्या हैं ?"

"हुजूर ! मेरा एक ही जादू है कठिन परिश्रम और दृढ़ अनुशासन। इन को मिलाकर मैंने अपने आचरण में उतारा और खेती में झौंक दिया। अपने हृष्ट पुष्ट लड़के, लड़कियों, मेहनती पत्नी, खेती के उन्नत किस्म के औजारों बैलों की मोटी ताजी किस्म की जोड़ियों और नौकरों आदि को जज साहब के सामने ला खड़ा किया ।"

इन्हें देखकर जज साहब कुछ परेशान से थे ! तभी भूलेसिंह बोल उठा : सरकार मैं तो खेतों को खूब अच्छी तरह से जोतकर खाद डालकर अच्छी तरह तैयार करता हूं। मेरे मेहनतकश, लड़के, लड़कियां बीजबोने, गोड़ने सिंचाई करने और फसलों की पक्षियों से रक्षा करने में मेरी भरपूर मदद करते हैं । मेरे औजरों और बैलों का भी मुकाबला नहीं है कुछ ! इन सबके खरे पसीने का ही वह जादू है जो मेरे खेतों में अनाज के दाने नहीं, हीरे मोती पैदा करके गांव वालों को टोने टोटके का भ्रम पैदा करवा दिया करता है ।"

सभी लोग भूलेसिंह की यह बात सुनकर आश्चर्य चकित रह गए। तब जज साहब ने गांव वालों से पूछा :—"क्यों ! यह भूलेसिंह वाकई ऐसा ही करता रहता है क्या ? जैसा कि यह कह रहा है ?"

गांव वालों ने 'हां' कहकर भूलेसिंह की बात का अनुमोदन किया तभी वह फिर बोला :—"सरकार ! मेरे खेतों में काफी पैदावार होने में ये लोग किसी जादू का असर बतलाते हैं न । यदि ये मेरे बताए रास्ते पर चलें तो यही हालत इनके खेतों की भी हो ही सकती है। आप चाहें तो इसकी सत्यता परख सकते हैं ! इनमें सूझ बूझ भरी दृष्टि, पक्के इरादे और कठिन परिश्रम आदि का एकदम अभाव है। खेत तो पसीना मांगते हैं पसीना ।"

तभी न्यायाधीश महोदय बोले :—"आज तक हमारे सामने अनेक तरह के छोटे बड़े अपराधी आये हैं। किन्तु अपने ऊपर लगाए गए अभियोगों के निवारण के लिए इतने जोरदार और सच्चे प्रमाण किसी ने भी उपस्थित नहीं किए। मैं भूलेसिंह के एक ही जादू की क्रियान्विति की जितनी भी प्रशंसा करूं, कम ही है। क्योंकि उसने वे सभी उपाय अपनाये हैं जो कि उन्नति करने के लिए सचमुच ही जादू की तरह कारगर होते हैं !"—इतना कहकर उन्होंने गांव वालों को भी समझाया कि वे भी डटकर मेहनत करें।

भूलेसिंह अब गांववासियों के साथ वापिस लौट रहा था तो उनसे कहा :—चाचा, ताऊ, भाइयों बहनों ! सभी खरे पसीने का जादू खेतों में छिड़कने के लिए पक्का इरादा बनाइए ! किस वस्तु की उपज उस भूमि में अच्छी होगी इसके लिए दूर दृष्टि बनाइए। फिर कठिन परिश्रम और अनुशासन द्वारा खेतों की रंगत ही नहीं घर बार और खुद की रंगत ही बदलने चले जाइए।

गांव वालों ने भूलेसिंह की बात को आज गम्भीरता से लेकर कुछ कर गुजरने का पक्का इरादा बना लिया। ★

दहेज

महाराज

इन्तजार में खड़ी थी
दूल्हा की मां
कि बरात से
कोई लौटकर आये
और बताये,
'दहेज कितना मिला है ।'
तभी आया नाई
बरात से
पूछा दूल्हा की मां ने
उत्सुकता से,
'दूल्हा और दूल्हा के पिता
नहीं आये ?
दहेज कितना मिला है ?'
उत्तर दिया नाई ने
'वे दहेज का चैक भुनाने
जेल गये हैं ।'

हिन्दु, मुस्लिम, सिख,

ईसाई या पारसी—

हम सब हैं भारतवासी

पहला सुख निरोगी काया

घरेलू इलाज ★ वैद्य गोपाल सहाय शर्मा

सिरदर्द : चावलों को तीन बार दूध में भिगोकर और सुखाकर बहुत बारीक पीस लें और उसे थोड़ा सा सूघें । पुराने से पुराना सिर दर्द एवं आधा शीशी का दर्द दूर हो जाएगा । दूसरी तरफ के नथुने से सूंघने से दाढ़ का दर्द, भौं का दर्द, सर्दी जुकाम की वजह से हो तो दूर हो जाता है । इसके साथ ही नाक के कीड़े एवं बदबू भी दूर हो जाती है ।

मिरगी : राई को बारीक पीसकर शीशी में सम्भाल कर रख लें और जरूरत के वक्त सुंघाएं । दौरा, फौरन शान्त हो जाएगा ।

सर्दी-जुकाम : सैंधा नमक, एक तोला, देशी खांड 4 तोला दोनों को बारीक पीसकर मिलालें । प्रातः सांय 3-3 माशा गर्म दूध के साथ फांकने से नजला जुकाम शीघ्र ही ठीक हो जाता है ।

नींद न आना : बकरी के दूध को हाथ पैरों में मलना ।

सोते हुए डरना : बहुत से बच्चे सोते हुए डर जाते हैं । अतः उनके सिरहाने पर फिटकरी के एक टुकड़े को कपड़े में बांधकर रखने से बच्चा नहीं डरता है ।

आंखों की कमजोरी : हल्दी को बारीक पीस कर कपड़े में छान लें । रात के समय दो-तीन सलाई आंखों में डालने से दृष्टि की कमजोरी दूर होती है ।

रतौंधी : सफेद शक्कर का बताशा लेकर खूब बारीक पीस लें और आंखों में अच्छी तरह लगाते रहने से रतोंधी दूर हो जाती है ।

आंख का जख्म : हल्दी की गांठ पानी के साथ पत्थर पर घिस कर लगावें । हल्दी के इस लेप को दो-तीन बार लगाने से आंख का जख्म ठीक हो जाता है ।

मोतियाबिन्दु : प्याज का रस और शहद बराबर-बराबर मिला कर कुछ दिन लगातार लगावें ।

लाजवाब सुरमा : लाहौरी नमक को बरीक पीसकर कपड़ छान कर रख लें । यही सुरमा है । इस सुरमे को आंखों में लगाने से आंखों का निनावा और आंखों की लाली, आंखों से पानी आदि की शिकायतें दूर हो जाती हैं ।

कान का दर्द : तिल का तेल 3 तोला, एक अदद लाल मिर्च । दोनों को किसी बर्तन में डाल कर पकावें । मिर्च जब काले रंग की हो जाए तो उतार कर छान लें और शीशी में भर कर रख लें । कान के भयंकर दर्द में इस तेल को जरा गर्म करके डाल देने से कान का दर्द बन्द हो जाता है ।

कान के कीड़े : सिरके को कान में टपकाने से कान के कीड़े तैरकर बाहर आ जाते हैं ।

नाक से खून गिरना : हाथ, पांव, गरम पानी से धोएं और सिर पर ठण्डा पानी डालें । उसी समय खून बन्द हो जाएगा ।

नाक के कीड़े : लोंग को गर्म पानी में घोलकर ड्रापर से नाक में टपकाने से कीड़े मर जाएंगे । अगर नाक में बदबू आती है तो तुलसी के पत्तों के रस की दो-चार बून्दें डालते रहने से बदबू दूर हो जाती है ।

मुंह आना : मिश्री बारीक पीसकर उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाएं तथा मुंह में लगाने से मुंह आना रुक जाता है ।

दांत का दर्द : प्याज एक तोला, कलौंजी एक तोला, दोनों को एक बर्तन में डालकर खूब पीसें । जब एक हो जाए तो 6 मासे की टिकियां बनालें । गिलास में रखकर पीने से मुंह के पानी को थूकते रहने से दांत का भयंकर दर्द शान्त हो जाता है । अन्य जिस तरफ के दांत में दर्द हो उसके उल्टे तरफ के कान में 10 नग काली मिर्च पीस कर 2 बून्द टपकावें । दर्द फौरन जाता रहेगा । कान में जलन ज्यादा हो तो घी या नारियल का तेल एक दो बून्द डाल दें ।

ओठ फटना : मक्खन में थोड़ा सा नमक मिलाकर ओठों पर लगाएं और जीभ पर भी लगाएं । ओठों का फटना और खुस्की दूर होगी ।

छाती का दर्द : दो रत्ती असली हींग को लेकर एक मुनक्के में भरकर रोगी को खिलाने से फौरन ही छाती का दर्द ठीक हो जाएगा । अगर फायदा कम हो तो आधे या एक घन्टे बाद फिर खिलाने से दर्द दूर हो जाता है ।

पेट का दर्द एवं वायु दर्द : हल्दी 10 रत्ती, नमक 10 रत्ती दोनों को बारीक पीस कर थोड़े गर्म पानी के साथ खिलाएं । अथवा प्याज को गर्म करके कुचल कर पानी में निचोड़ लें और उसमें एक माशा नमक मिलाकर पिलादें । तत्काल पेट का दर्द दूर हो जाएगा ।

पेट के कीड़े : नमक बारीक पिसा हुआ 3 माशा, गाय के दही या छाछ के साथ रोजाना खाने से फायदा होता है ।

पेचिश एवं आंव : प्याज 2 माशे, आधा पाव पानी में पकाएं और उसको चखकर जायके लिए थोड़ा सा मीठा मिला कर पिलादें । तीन दिन पीने के बाद पेचिश बिलकुल दूर हो जाएगी । सौंफ 2 तोला, जीरा 2 तोला, मिश्री 2 तोला सौंफ और जीरे को हल्का भून लें और उसमें मिश्री मिलाकर पीस कर सुबह-शाम 6 माशे की मात्रा फांक कर पानी या मठा पीने से आंव एवं पेचिश दोनों का शमन हो जाता है ।

शेष पृष्ठ 29 पर]

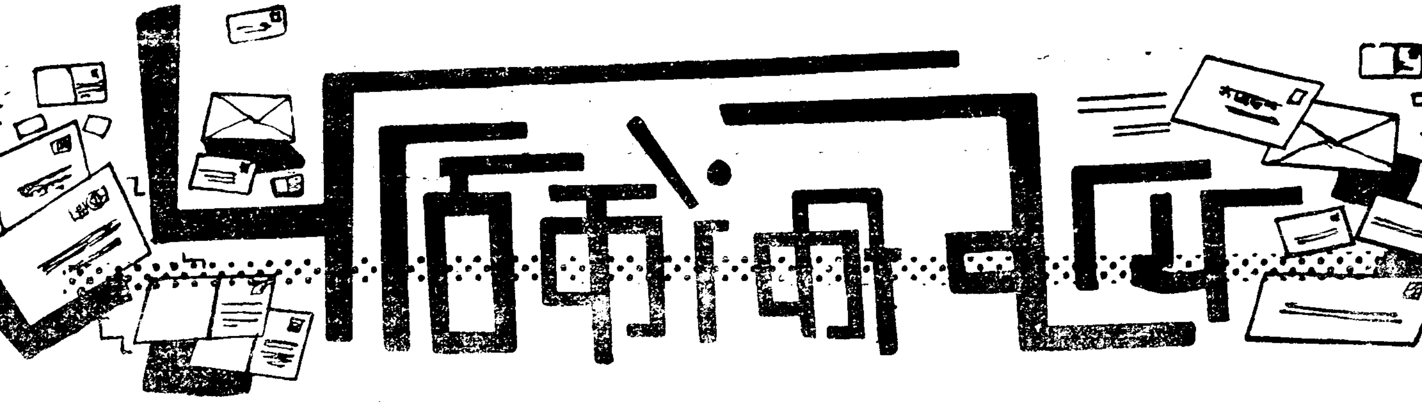

दहेज प्रथा का उन्मूलन कैसे हो ? ★ —जगदीश कौशिक

दहेज प्रथा आज सारे देश में चर्चा का विषय बनी हुई, सरकारी और गैर सरकारी अर्थात् सामाजिक स्तर पर इस नासूर को समूल नष्ट करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, परन्तु इन प्रयत्नों का कोई अच्छा प्रभाव पड़ा हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। हम हर रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि अमुक शहर में एक नव विवाहित लड़की को ससुराल वालों ने दहेज कम लाने के कारण मार दिया, अमुक स्थान पर लड़की ने दहेज कम लाने पर ससुराल वालों की छींटा कशी से तंग आकर आत्महत्या कर ली, एक या दो नहीं, वरन् सैंकड़ों हजारों की संख्या में दहेज का दैत्य निरापराध लड़कियों को अपने जबड़ों का शिकार बना रहा है। माता-पिताओं के अरमान जलती चिताओं में राख होकर रह रहे हैं। कितनी ही अभागिनों के कुंवारापन में संजोये स्वप्न अधूरे रह रहे हैं। यह बड़ी चिन्ता का विषय है।

हमारे पूर्वजों ने नारी को समाज में कितना गौरवपूर्ण स्थान दिया है, इसकी जानकारी मनु के इस श्लोक से भली प्रकार मिल सकती है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात् जहां नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। ऋषि-मुनियों और पुरातन काल में राजा-महाराजाओं तक ने नारी को यज्ञ आदि पवित्र कार्यों में पुरुष के बराबर स्थान देने की व्यवस्था की और उसे पुरुष की अर्द्धाङ्गिनी स्वीकार किया। परन्तु आज चांदी के सिक्कों के लिए नारी जाति का जितना अपमान किया जा रहा है, उसकी जो दुर्दशा की जा रही है, उसे देख कर दिल में संतान का दर्द रखने वाला हर व्यक्ति चार आंसू बहाए बिना नहीं रह सकता। कितनी विडम्बना है, नारी जाति के भाग्य की ? लिखना कठिन है।

पहले यह कहा जाता था कि जिसने कन्यादान दे दिया, उसने सब कुछ दे दिया। वह कन्या जब बधू के रूप में ससुराल जाती थी तो उसे लक्ष्मी का रूप मानकर उसका आदर किया जाता था। उधर लड़की के माता-पिता कहा करते थे, हमने तो पुत्री देकर पुत्र लिया है कितनी आत्मीयता होती थी, कितना सच्चा स्नेह होता था, ऐसी मान्यताओं में परन्तु आज सच्ची लक्ष्मी को सोने चांदी रूपी झूठी लक्ष्मी के लिए कितना तंग किया जाता है, और पुत्र बनाया हुआ वह दामाद कितना स्वार्थी और लालची बन कर अपनी ससुराल के लिए समस्या बन जाता है और बन रहा है, कहने से बाहर की बात बन कर रह गई है।

पहले शिक्षा का इतना प्रसार और प्रचार नहीं था, विशेष कर लड़कियों को पढ़ाना बुरा समझा जाता था, उस समय माता-पिता शादी पर लड़की को घरेलू उपयोग का कुछ सामान इसलिए देते थे, कि आवश्यकता के समय उसके काम आ सके, संतान का मोह और समाज में सम्मान की भावना भी किसी न किसी रूप में इसे देने में रहा करती थी, लड़के वाले दिए गए सामान को बड़े आदर से धन्यवाद सहित स्वीकार करते थे, परन्तु जैसे-जैसे पैसे का लालच बढ़ने लगा, वैसे-वैसे ही दहेज भी सौदे बाजी का रूप धारण कर गई, आज लड़की के रूप, रंग और गुणों को नहीं, उसके यहां से मिलने वाले सामान को देखा जाता है या यूं कह लीजिए कि आज शादी लड़की से नहीं, पैसे से की जाती है। (अपवाद हर क्षेत्र में मौजूद है)

आज इस कुप्रथा को बंद करने के लिए केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारें बहुत कुछ कर रही है, चूंकि विवाह और दहेज समवर्ती सूची में शामिल है इसलिए इसके बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। इस समय बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, में इस कुप्रथा को मिटाने के लिए कानून बनाए जा चुके हैं। केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों का अध्ययन कर रही है, ताकि उनकी बिशिष्ट बातों का समावेश केन्द्र द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों में किया जा

सके। इधर सामाजिक स्तर पर भी बिरादरियां दहेज देने और लेने के बारे में अर्थात् इस प्रथा को बंद करने के लिए पग तो उठा रही हैं, परन्तु अभी तक किसी भी क्षेत्र द्वारा उठाए गए पग का कोई लाभकारी परिणाम निकला हो, ऐसा दिखाई नहीं देता, लोग ऊपर से नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, और सरकारी कानून के शिकंजे में आने से बचने के लिए दहेज न प्रकट रूप में देते हैं, न लेते हैं, परन्तु चोर दरवाजे से अभी भी सब कुछ हो रहा है, बीसियों ऐसे उदाहरण हैं, कि दहेज में दिए जाने वाले सामान को शादी से पहले ही लड़के वाले के घर पहुंचा दिया जाता है। इधर कालेजों में छात्रों से प्रतिज्ञा पत्र भरवाए जा रहे हैं कि वे दहेज नहीं लेंगे, इस सम्बन्ध में कुछ छात्रों से बातचीत करने का अवसर मिला, उनसे यह पूछने पर कि क्या आप अपनी इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहोगे, तो उन्होंने हंस कर उत्तर दिया, जैसा समय होगा, वैसा देखा जाएगा।

प्रश्न उठता है कि क्या कोई बुराई सरकारी कानूनों या सामाजिक प्रतिबंधों के लागू करने मात्र से दूर हो सकती है? इस का स्पष्ट उत्तर है, नहीं। दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है इसके लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं:

1. लड़के के पिता को अपने लड़के की शादी पर दहेज की मांग करने से पहले यह सोचना चाहिए, कि मेरी लड़की की शादी पर यदि दहेज की मांग की जाएगी तो जितनी मजबूरी मेरे सामने होगी, उतनी ही लड़की के बाप के सामने भी हो सकती है, यदि रिश्तेदार दुखी हुआ, तो रिश्तेदारी का लाभ क्या? आनन्द क्या?
2. दहेज की मांग करने वाले परिवार के साथ उसके रिश्तेदारों को अपने सम्बन्ध विच्छेद कर देने चाहिए, अर्थात् उसका सामाजिक बाई काट कर देना चाहिए।
3. अन्तर्जातीय विवाह भी इस समस्या के समाधान में काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आज पुराने समय वाली बात नहीं रही, कि नाई और ब्राह्मण जहां चाहें, किसी यजमान की लड़की का रिश्ता कर दें, लड़के लड़कियों को स्वयं अपना जीवन साथी चुनने के लिए मैदान में आना चाहिए। आज के युवक और युवतियों को पुरानी मान्यताओं के शिकार और पैसे के लालची अपने माता-पिताओं को समझा कर सही राह पर लाने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए।
4. प्रकट या चोर दरवाजे से देने लेने की सूचना सरकार को देकर कानून के हाथ सुदृढ़ करने में सरकार को सहायता देनी चाहिए।
5. लड़कियों को अपना मनोबल दृढ़ करना चाहिए, उन्हें सोचना होगा कि वे भेड़, बकरी या गाय, भैंस नहीं है, जिनका सौदा किया जा सके, उन्हें दहेज मांगने वाले लालची सौदेबाजों को मुंहतोड़ उत्तर देना चाहिए।

यदि हर परिवार अपने अपने स्थान पर दहेज न लेने-देने की प्रतिज्ञा कर लें, तो समस्या का समाधान करने में कोई कठिनाई नहीं रहेगी।

डी० ए० वी० हायर सैकण्ड्री स्कूल,
करनाल (हरियाणा)]

पहला सुख......... [पृष्ठ 27 शेषांश]

बुखार : काली मिर्च आधी छटांक लेकर बारीक पीस लें एवं तुलसी का रस ताजा डालकर 64 घन्टे घुटाई करें। फिर मिर्च के बराबर गोली बानएं तथा सुखादें। एक से तीन गोली तक शहद के साथ चाटने से बुखार ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों को आधी गोली दें। हर प्रकार के बुखार को दूर कर देती है।

बिच्छू के काटने पर : लाल मिर्च को पानी में पीस कर काटे हुए स्थान पर लगाएं। अथवा—लाहौरी नमक को पानी में घोलकर आंख में डालने से बिच्छू के जहर का असर गायब हो जाता है।

द्वारा—राजवैद्य श्रीधर शर्मा
पुरोहित मुहल्ला, भरतपुर (राज०)

साहित्य समीक्षा

सम्बोधिनी : लेखक ; तारा पाण्डे, प्रकाशक ; मौलिक-साहित्य प्रकाशन, 162 डी, कमला नगर, दिल्ली-110007, मूल्य : साढ़े सात रुपये, पृष्ठ संख्या : 67 ।

प्रस्तुत संग्रह में तारा पाण्डे की पिछले कुछ वर्षों में लिखी गई कविताओं को संग्रहीत किया गया है। इसमें एक ही विषय पर कविताओं को न लिखकर विविध विषयों को समेटने का प्रयत्न किया गया है। इसमें एक ओर जहां प्रेम सम्बन्धी कविताओं को लिखा गया है, वहां दूसरी ओर राष्ट्रीय कविताएं, भक्तिपरक कविताएं और प्राकृतिक सौन्दर्य से आप्लावित कविताओं को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इस प्रकार विषय-विविधता इस कृति की एक मुख्य विशेषता है।

प्रेम जीवन को प्रेरणा देता है। यह मनुष्य को संवेदनशील, सहनशील और संघर्षशील बनाता है। 'सम्बोधिनी' में प्रेम और सौन्दर्य की बहुत ही मार्मिक व्याख्या की गई है। प्रेम का एक महत्वपूर्ण पक्ष है—विरह। विरह की अग्नि में तप कर ही वह खरा सोना बनता है। कवयित्री ने बहुत ही सरल, और मार्मिक शब्दों द्वारा प्रेम की इस दशा को दर्शाया है-

'कार्य में ही लीन तुम बैठे वहां,
और मैं तरसा रही आखें यहां,
सघन-घन पल-पल बरस कर मिट गए।
बरस कर मेरे नयन फिर भर गए।

कवयित्री का भावुक हृदय प्राकृतिक-सौन्दर्य में खूब रमा। प्रकृति के निकट रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। शायद इसी कारण से उनके गीतों में प्रकृति का सच्चा रूप मुखरित हो उठा है और वह बहुत ही कम और सरल शब्दों में बहुत कुछ कह जाती हैं :—

हिमालय का वर्णन करते-करते वह भाव-विह्वल सी हो उठती हैं :-

'हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर
गूंजे गीत तुम्हारे।
निर्झर की झर-झर में मुखरित,
गीतों के स्वर सारे।

तारा जी ने राष्ट्रीय कविताओं को भी स्थान दिया है। राष्ट्रीय-भावना से आप्लावित होकर वह कहती हैं—

'मिट्टी यह जिसके कण-कण से निर्मित देह हमारी,
मिट्टी यह जिसको कहते हम भारतमाता प्यारी

भाव-पक्ष के समान ही प्रस्तुत कृति का कला-पक्ष भी समृद्ध है। भाषा सरल है। विचारों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा प्रसाद-गुण युक्त है। अलंकारों का सुन्दर एवं सहज प्रयोग है, जो विचारों की सरलता के कारण स्वयं ही आ गए हैं।

पुस्तक की छपाई ठीक है। पुस्तक का मूल्य कुछ ज्यादा रखा गया है। फिर भी कुल मिलाकर यह पुस्तक काव्य-प्रेमियों को प्रभावित करेगी, ऐसा विश्वास है।

नविन्दर भाटिया
क्यू-५, राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली-२६

श्रमदूत : (त्रैमासिक) : सम्पादक; प्रकाशक, महाबीर शर्मा, जयपुर

श्रमिक शिक्षा केन्द्र राजस्थान की त्रैमासिक पत्रिका है। प्रस्तुत अंक तीसरा पुष्प (अंक) है। नवीन सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम के एक वर्ष तथा केन्द्र द्वारा श्रमिक शिक्षक प्रशिक्षण के 50 सत्र पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रस्तुत अंक प्रकाशित हुआ है।

समसामयिक सामाजिक आर्थिक समस्याओं से किस प्रकार देश एक जुट होकर जूझ रहा है, क्या-क्या उपलब्धियां हुई हैं देश में इस एक वर्ष में कितना आत्मविश्वास जागा है, समृद्धि का रहस्य परिवार नियोजन में ही है आदि-आदि विषयों पर अधिकाधिक सामग्री प्रस्तुत करने में सं० महावीर शर्मा का प्रयास सराहनीय है। एक ही अंक में देश में वर्ष भर की उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना स्वयं में महत्वपूर्ण कार्य है। आर्थिक कार्यक्रम के महत्व को गागर में सागर भरने के समान प्रस्तुत करने के साथ-साथ अनुशासन के महत्व को भी सारगर्भित (अंग्रेजी) भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

आयोजकों का प्रयास सराहनीय है। छपाई त्रुटिहीन एवं आकर्षक है। 126 पृष्ठों की इस पत्रिका का क्या मूल्य है ज्ञात नहीं। यह निश्चय ही सत्य है कि पत्रिका अमूल्य है।

—रामेश्वर दयाल मिश्र
आई० बी० 14/सी,
डी०डी०ए० फ्लैट्स, अशोकविहार,
दिल्ली

सम्पूर्ण-गांधी वाङ्मय (खण्ड सत्तावन) : प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ; मूल्य : 7-50 पृष्ठ 592)

प्रस्तुत ग्रन्थ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सन् 1934 के चार महीनों (16 जनवरी से 17 मई तक) के अनेक पत्र प्रकाशित किए गए हैं। उनके समय-समय पर दिए गए भाषण, सन्देश, तार एवं टिप्पणियां आदि सामग्री भी इसमें संग्रहीत है। इसी खण्ड में गांधी जी की मलाबार, तमिलनाडु, कर्नाटक, कुर्ग तथा बिहार यात्रा का विवरण दिया गया है। परिशिष्ट में रवीन्द्रनाथ ठाकुर का वक्तव्य (पृष्ठ 47) सर सेमुअल होर के नाम गांधी जी के पत्र की पृष्ठभूमि और होरेस अलेक्जैंडर द्वारा इस प्रसंग के सम्बन्ध में लिखी गई परिचयात्मक टिप्पणी (पृष्ठ

548) सम्मिलित है। गांधी जी के विचारों पर प्यारेलाल नैलर की टिप्पणी भी दी गई है। सामग्री के साधनसूत्र, तिथिवार जीवन-वृतांत, शीर्षक-सांकेतिका आदि शीर्षकों के माध्यम से इतने बड़े ग्रन्थ में पाठक अपेक्षित सामग्री सहज ही खोज सकता है।

गांधी वाङ्मय के इस खण्ड में गांधीजी हरिजनों की शिक्षा, निर्भय मन्दिर-प्रवेश, सवर्ण-अवर्ण के पारस्परिक सौहार्द पर बल देते हुए दिखाई देते हैं। उनका कहना था, 'जब हम स्वेच्छापूर्वक हरिजनों को अपना लेंगे तो हम सब हरिजन हो जाएंगे' (पृ० 523) गांधीजी अस्पृश्यता को मानवमात्र का कलंक मानते थे। इस ग्रन्थ के प्रथम पृष्ठ के प्रथम वाक्य में ही इस कलंक को दूर करने का संदेश है ; 'अस्पृश्यता निवारण पूरी तरह कार्यकर्ताओं पर निर्भर है।' वे हिन्दू धर्म पर लगे इस कलंक को धो डालने का आह्वान करते हैं (पृ० 3) साथ ही महात्मा गांधी अस्पृश्यता को महापाप (पृ०179) की संज्ञा देते हुए उसे अनावृष्टि, बाढ़ एवं भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण मानते हैं...'भूकम्प अस्पृश्यता के पाप का ईश्वरीय दण्ड है (पृ० 178)।

गांधी जी की धर्म विषयक धारणा भी प्रस्तुत खण्ड में स्पष्ट हुई है। उनकी दृष्टि में सभी धर्म सच्चे हैं। धर्म को एक विशाल वृक्ष मानते हैं जिसकी अगणित शाखाएं हैं किन्तु वृक्ष रूप में धर्म एक ही है (पृष्ठ 19)। उन्होंने सभी धर्मों में अधिकाधिक एकता स्थापित करने का पूर्ण प्रयास किया है।

सविनय अवज्ञा-आन्दोलन, कांग्रेसियों का कौंसिल-प्रवेश-कार्यक्रम में भाग लेना, अंग्रेजों द्वारा दमन आदि राष्ट्रीय मसलों पर गांधी जी के विचार इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किए गए हैं। उनके अनेक पत्रों से यह तथ्य भी उजागर होता है कि वे वैयक्तिक एवं सामाजिक मामलों के प्रति बहुत जागरूक थे। वे श्री के० एम० मुंशी को ज्योतिषियों से दूर रहने का परामर्श देते दिखाई देते हैं। (पृ० 290)।

सम्पूर्ण ग्रन्थ सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। अनुवाद में कहीं भी शैथिल्य नहीं दिखाई देता। सम्पादन में जो मेहनत तथा सतर्कता बरती गई है, उसके लिए प्रकाशन विभाग बधाई का पत्र है। उच्च कोटि का मुद्रण मुख पृष्ठ की सादगी एवं गांधीजी का कार्यकर्ताओं के साथ फोटो आदि इस खण्ड के आकर्षण हैं। इतने बड़े अंक का साढ़े सात रुपए मूल्य अन्य पुस्तक प्रकाशकों के लिए अनुकरण का विषय हैं।

ड० इलारानी कौशिक
आई-८, पटेल मार्ग,
गाजियाबाद-२०१००१ (उ० प्र०)

मेरे क्रान्तिकारी साथी : लेखक ; अमर शहीद सरदार भगतसिंह; संकलन : वीरेन्द्र सिन्धु; प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्स, कश्मीरी गेट, दिल्ली; मूल्य : बारह रु०; पृष्ठ संख्या : 138।

भारत मां की स्वतन्त्रता प्राप्ति में जिन शहीदों ने अपने शीश चढ़ाए उनमें सरदार भगतसिंह का नाम सर्वोपरि है और उनकी यशोगाथा युगों-युगों तक गाई जाती रहेगी। सरदार भगतसिंह निःसंदेह भारत मां के अमर सपूत थे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि भगतसिंह केवल क्रान्तिकारी ही नहीं थे बल्कि उच्चकोटि के लेखक तथा विचारक भी थे। हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी और गुरमुखी पर उनका समान अधिकार था।

भगतसिंह ने उर्दू की पत्रिका 'किर्ती' में अनेक क्रान्तिकारियों की जीवनियां लिखी थीं। चांद के 'फांसी अंक' में भी इनका प्रकाशन हुआ था। यह गौरव ग्रन्थ उसी सामग्री पर आधारित है। वीरेन्द्र सिन्धु ने जिस कुशलता के साथ इन लेखों का संग्रह किया है वह प्रशंसनीय है।

आलोच्य पुस्तक में 47 संक्षिप्त जीवनियां हैं जिनमें कूका विद्रोह के बलिदान से लेकर श्री अशफाकुल्ला खां तक का प्रामाणिक विवरण दिया गया है। चाफकेर बन्धु, श्री कन्हाईलाल दत्त, श्री सत्येन्द्र कुमार वसु, श्री मदनलाल ढींगरा, श्री अमीरचन्द, श्री अवधबिहरी, भाई बालमुकुन्द की यशोगाथा सरदार भगतसिंह ने अपनी कलम से लिखकर साहित्य को एक अनुपम भेंट प्रदान की है। सबसे बड़ी बात इन लेखों में हमकों देखने को मिलती है, वह है—यत्र-तत्र उर्दू तथा पंजाबी की राष्ट्रीय काव्य पंक्तियों के उद्धरण। श्री अवधबिहारी की अपनी जीवनी में यह पक्ष कितना प्रभावोत्पादक है :—

एहसान न खुदा के उठाए मेरी बला,
किश्ती खुदा पे छोड़ दूं, लंगर को तोड़ दूं।

इसी प्रकार श्री अशफाकुल्ला खां का यह शेर कितना मार्मिक है :—

तंग आकर जालिमों के जुल्म और जेहाद से,
चल दिए सू-ए-अदम जिन्दाने फैजाबाद से।

भाषा की दृष्टि से यह पुस्तक सामान्य तो है किन्तु जिस शैली में लिखी गई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक की आत्मा उसमें आत्मसात हो गई है।

इस संदर्भ में श्री करतार सिंह की जीवनी से कुछ पंक्तियां यहां देने का लोभ संवरण नहीं हो पा रहा है।

जेल में बन्द होने पर भी उस अशान्त हृदय को शान्ति न मिली। एक दिन लोहा काटने के यन्त्र मंगवा लिए। 60-70 अभियुक्तों को इकट्ठा किया। निश्चय हुआ, चार-पांच के अलावा, जो कि बिल्कुल निर्बल तथा निर्दोष थे, सभी लोग उसी रात जेल से भाग निकलें। बाहर से यह समाचार भी आ गया था कि लाहौर छावनी मेगजीन के इन्चार्ज महाशय सहायता के लिए तैयार हैं। निश्चय हुआ कि 50-60 व्यक्ति जेल से निकलते ही सीधे लाहौर छावनी जाएं। उन लोगों की सहायता से मेगजीन से हथियार निकालकर सभी को सशस्त्र कर दिया जाए और उसके बाद फिर से विद्रोह किया जाए।

कुल मिलाकर यह पुस्तक बड़ी उपयोगी, महत्वपूर्ण तथा उत्साहवर्धक और विशेष रूप से नई पीढ़ी को, राष्ट्र पर मर-मिटने की प्रेरणा देने वाली है। छपाई और साज-सज्जा सभी उत्तम है। किन्तु क्रान्तिकारियों के चित्रों का न होना खटकता है।

शशि चावला उपसम्पादक
कुरुक्षेत्र (हिन्दी)

केन्द्र के समाचार

बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के बाद केवल एक वर्ष की अवधि में 13 लाख 24 हजार 313 व्यक्तियों को 209 करोड़ रु० की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई।

जिन कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है उनमें ऋण चुकाना, किसानों एवं काश्तकारों को उत्पादन कार्यों के लिए ऋण, उपभोक्ता समितियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास शामिल है। इसके अतिरिक्त, जिन भूमि-हीनों को भूमि दी गई है, उन्हें कृषि कार्य शुरू करने के लिए भी बैंकों द्वारा ऋण दिए गए हैं। साथ ही छात्रों को नियंत्रित कपड़ा, पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए जून, 1976 तक तीन अरब 87 करोड़ रु० की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

इसका सबसे अधिक लाभ छोटे किसानों को हुआ तथा 10 लाख 83 हजार से अधिक छोटे किसानों और दस्तकारों को एक अरब दस करोड़ की धनराशि ऋण के रूप में दी गई।

उचित दर पर दैनिक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए 36 हजार से अधिक उचित दर की दुकानों और उपभोक्ता सहकारी समितियों को 54 करोड़ रु० का ऋण दिया गया।

छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए 75 हजार किसानों को 18 करोड़ रु० दिए गए। 50 हजार बुनकरों को 4 करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। 73 हजार भूमिहीनों को भूमि आबंटित करने के बाद खेती शुरू करने के लिए 4 करोड़ रु० का ऋण दिया कया।

बंधुआ मजदूरों का उद्धार

बड़ी संख्या में बंधुआ मजदूरों को गुलामी से मुक्त कराया गया। इस प्रकार उनके लिए मानव तिरस्कार और दासता का युग समाप्त हो गया है। राज्य सरकारों ने 89,476 बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया है। राज्य बहुत सतर्क है और उन लोगों, जो अभी भी गुलाम हैं, को स्वतन्त्र कराने के अन्य कदम उठा रहे हैं।

श्रम मंत्रालय को प्राप्त सूचना के अनुसार पता लगाए गए और स्वतन्त्र (कोष्ठक में) किए गए बंधुआ मजदूरों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश (826), बिहार (1534), कर्नाटक (58587), उड़ीसा (243), मध्यप्रदेश (243), केरल (577), राजस्थान (5484), तामिलनाडु (2770), उत्तर प्रदेश (19242), और मिजोरम 3.

इन लोगों को कृषि योग्य भूमि देने के लिए कार्यवाही आरम्भ की गई है और जहां भूमि उपलब्ध नहीं है, इन लोगों को गैर-कृषि कार्यक्रमों जैसे पशु पालन, मुर्गी पालन, ग्रामीण उद्योग और मछली पालन आदि में लगाया जा रहा है।

सरकार की विकासात्मक मशीनरी, राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तटस्थ है। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक वित्तीय आवश्यकताओं की जांच का कार्य शुरू कर दिया है। विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार के सक्रिय समर्थन के साथ स्थानीय परिस्थितियों की दृष्टि से विस्तृत पुनर्वास योजनाएं तैयार की गई हैं।

उचित एजेंसियों मुक्त बंधुआ मजदूरों की आय के आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रबंध कर रही हैं। इन मजदूरों को स्वतन्त्र धंधा करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रद्यौगिकी का गांवों में प्रसार

भारतीय प्रद्यौगिकी संस्थान, कानपुर, सीमेंट बनाने की तकनीकी का प्रसार प्रदेश के छोटे-छोटे गांवों में कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप बांदा जिले में स्थित झाऊ नामक गांव की कायापलट हो गई है।

इस संस्थान ने धान की भूसी से सीमेंट बनाने के एक नए ढंग का संयंत्र लगाया है। इसमें इस्पात के गोलों से युक्त एक घूमने वाला बेलन होता है और यह डीजल इंजिन से चलता है।

धान की भूसी की राख को चूने में मिलाकर इस चक्की में बारीक पीस लिया जाता है। इस प्रकार बनाए गए इस सीमेंट को तुरंत प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका नाम आशमोह रखा गया है। इस सीमेंट को अन्य अनेक प्रकार के प्रचलित सीमेंट के तरह ही आम उपयोग में लाया जा सकता है।

इस संयंत्र की स्थापना एक वर्ष पहले की गई थी और इसकी उत्पादन क्षमता 250 टन प्रतिवर्ष है।

भारत में लगभग 6 करोड़ टन धान की भूसी का उत्पादन होता है। अतः इससे प्रतिवर्ष 25 लाख टन सस्ती सीमेंट गांवों को मिल सकेगी।

न्यूनतम पारिश्रमिक

सभी राज्यों ने खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन में संशोधन किया है। राज्यों ने इसे तेजी से लागू करने के लिए और निरी-क्षकों और दावा अधिकारियों की नियुक्ति की है। उनकी नियुक्ति न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए की गई है। इसके अलावा इस नियम को लागू करने में राजस्व, कृषि, ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य भी मदद देंगे। राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने

ग्रामीण कार्यकर्ताओं के लिए कई शिविर भी लगाए। इन शिविरों का उद्देश्य खेतिहर मजदूरों की समस्याओं का पता लगाना और उनके समाधान का प्रयत्न करना है। इसके अलावा, शिविर लगाने का उद्देश्य उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की भावना पैदा करना है जिससे वे अपने हितों की रक्षा के लिए अपना संगठन बना सकें और विभिन्न विकास योजनाओं से लाभ उठा सकें।

केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर, 1976 से खेतिहर मजदूरों के पारिश्रमिक की दर प्रतिदिन 4.45 रुपए और 6.50 रुपए के बीच कर दी है। इससे पहले यह 3.50 रुपया और 5.15 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से थी।

गांवों में विकास कार्यक्रम

देश में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों ने विकास कार्य के लिए लगभग 2,600 से अधिक गांवों को अपनाया है। यह इस निश्चय के अनुसार है कि हर इकाई को जहां तक सम्भव हो सके, एक गांव या गांव के समूह को अपना लेना चाहिए ताकि विद्यार्थी ग्राम विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

इसके अलावा, अनेक कालेजों और विश्वविद्यालयों ने, जो शहरों में हैं, गन्दी बस्तियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के सघन कार्य के लिए चुना है। चालू वर्ष से राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें मुख्यतः ग्राम विकास पर ध्यान दिया जाएगा। पिछली गर्मी की छुट्टियों में जितने शिविर लगाए गए उतने पहले कभी नहीं लगे थे। उम्मीद है कि इनकी संख्या 1,200 तक पहुंच जाएगी।

आठ साल पहले मार्गदर्शी योजना के रूप में शुरु की गई राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत अब विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के समान समझी जाने वाली 115 संस्थाएं आती हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 2,500 कालेज भाग ले रहे हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना की सदस्य संख्या आजकल 2,78,000 है।

मकानों का निर्माण

विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के लागू होने से अब तक 6.84 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत कुल 9.21 लाख से अधिक मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी।

औद्योगिक मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सहायता प्राप्त समन्वित आवास योजना के अन्तर्गत 2.45 लाख मकानों में से लगभग 1.4 लाख मकान बनाए जा चुके हैं। निम्न आय समूह की आवास योजना के अन्तर्गत 3.22 लाख मकान बनाने की स्वीकृति दी गई थी जिनमें से लगभग 2.55 लाख मकान बनाए गए हैं। बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत लगभग 18.500 स्वीकृत किए गए मकानों में से 8000 से अधिक पहले ही बनाए जा चुके हैं। मध्यम आय समूह की आवासीय योजना के अन्तर्गत 37,000 से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत 47,000 से अधिक मकान बनाने की स्वीकृति दी गई थी। राज्य सरकार के कर्मचारियों को किराए पर मकान देने की योजना के अन्तर्गत 32,000 से अधिक स्वीकृत किए गए मकानों में से लगभग 29,000 मकान बनाए जा चुके हैं। गन्दी बस्ती सफाई और सुधार योजना के अन्तर्गत 1.58 लाख स्वीकृत किए गए मकानों में से 1.07 लाख से अधिक मकान बना दिए गए हैं। ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत लगभग 9,800 स्वीकृत किए गए मकानों से 6,400 से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं।

मनीआर्डर की बेहतर सुविधाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में मनीआर्डर के माध्यम से धन भेजने की गति को तेज करने के उद्देश्य से डाकतार विभाग ने डाकियों और ग्रामीण डाकियों द्वारा मनीआर्डरों के भुगतान की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है।

ग्रामीण डाकियों और अतिरिक्त भुगतान एजेंटों को भुगतान के लिए 600 रुपए तक के मनीआर्डर सौंपे जा सकते हैं। यह सीमा डाकघरों के अधीक्षक द्वारा उस स्थान के वातावरण को देखते हुए 1000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। परिमण्डल अध्यक्षों को पूरा अधिकार है कि वे इस सीमा को अधिकतम राशि तक बढ़ा सकते हैं।

ग्रामीण डाकिए या अतिरिक्त विभागीय भुगतान एजेंट द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक मनीआर्डर की सीमा 80 रुपए है और मण्डलीय डाकघर अधीक्षक इस सीमा को 250 रुपए तक बढ़ा सकता है।

जिन स्थानों पर स्टेट बैंक या खजाने की कोई शाखा नहीं है उन स्थानों के डाकघरों के बीच रोकड़ (धन) के सुविधाजनक संचार की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चुने हुए डाकघरों से बैंक ड्राफ्ट प्राप्त करने और उन्हें जमा कराने की सुविधा शुरु की गई है और इसके उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं। इससे अधिक दूरी वाले स्थानो को भेजी जाने वाली राशि के भुगतान में विलंब को दूर किया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश

ऋण मुक्ति के लिए अध्यादेश

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डा० एम० चन्ना रेड्डीने ऋण (मुक्ति) अध्यादेश जारी कर समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण ग्रस्तता से मुक्त कर दिया है। इस अध्यादेश के विपरीत कोई भी कानूनी समझौता और डिग्री आदि अमान्य होंगे।

किसी ऋण या अतिरिक्त धनराशि की वसूली को, जो इस अध्यादेश द्वारा अनुदय नहीं है, दंडनीय कर दिया है, इसके अंतर्गत छह मास तक का कारावास तथा 2000 रु० तक जुर्माना या दोनां ही तरह के दंड की व्यवस्था की गई है। किसी ऋण पर देय ब्याज की दर को भी छह प्रतिशत प्रति वर्ष नियत किया गया है और इससे अधिक संविदात्मक कोई दर निष्प्रभावी होगी।

बीज एवं तराई विकास निगम

उत्तर प्रदेश में उन्नत किस्म के बीजों की मांग को पूरा करने के लिए नये संघटन उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम की स्थापना की जा रही है, जो प्रदेश में बीजों का उत्पादन 3.50 लाख क्विण्टल से बढ़ाकर 9 लाख क्विण्टल प्रति वर्ष करने का प्रयास करेगा। इस नए बीज निगम में फैजाबाद और कानपुर कृषि विद्यालय के भी प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। उत्पादन वृद्धि की यह योजना अगले तीन वर्षों में पूरी होगी।

सुहेली सिंचाई परियोजना

योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश में सुहेली सिंचाई परियोजना को कार्यान्वित करने की स्वीकृति इन शर्तों पर दे दी है—(क) राज्य को केन्द्रीय जल आयोग को अपनी परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट देनी है क्योंकि इस परियोजना से 10 हजार हैक्टर कमान क्षेत्र में सिंचाई होती है। (ख) घाघरा-शारदा को जोड़ने वाली नहर के प्रयोग की संभावनाओं का अध्ययन किया जाए। (ग) राज्य द्वारा भू-गर्भीय जल के उपयोग की संभावना और खेती की प्रणाली की समीक्षा की जाए।

सुहेली सिंचाई परियोजना से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी जिले की एक तहसील में सिंचाई की जा सकेगी। यह शारदा और घाघरा नदी के बीच स्थित है और यहां नहर द्वारा सिंचाई की अभी तक कोई भी सुविधा नहीं है।

इस परियोजना के अंतर्गत रुपनगर गांव के पास सुहेली नदी पर एक बांध बनाने की योजना है जिससे 15,307 हैक्टर भूमि की सिंचाई के लिए 256 क्यूसेक पानी का रुख बदला जा सकेगा। यह नहर 48 किलोमीटर लंबी होगी।

भूमिहीनों को जमीन

वाराणसी जिले में अब तक कुल 24,797 भूमिहीनों को 12,809 एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। इनमें 13,000 से अधिक लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं।

आबंटित भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए 4,000 आवंटियों को सहकारी और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लगभग 8 लाख रुपए की सहायता पहुंचायी गई। इसके अलावा, 3,000 आवंटियों को बीज, 1,500 आवंटियों को उर्वरक 170 आवंटियों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। जिले में अब तक 48,800 परिवारों को मकान के लिए जमीन वितरित की जा चुकी है। इन आबंटित भूमिखंडों पर कुल 19,500 मकानों का निर्माण हो चुका है और 419 आवास-स्थलों का विकास किया गया है।

छोटे किसानों के लिए सहायता

वाराणसी जिले में लघु कृषक विकास अभिकरण ने पौने दो वर्ष के अपने कार्यकाल में जनवरी 77 के अंत तक 13,500 से अधिक छोटे किसानों और कृषक मजदूरों को 65 लाख 78 हजार तीन सौ रुपए के ऋण दिए हैं। ये ऋण सरकारी और यूनियन बैंक के जरिए दिए गए। अभिकरण ने इस अवधि में 27 हजार व्यक्तियों की आर्थिक दशा सुदृढ़ कर उन्हें सहकारी समितियों का सदस्य बनाने में योगदान दिया।

इस अवधि में 8,251 किसानों को उन्नत किस्मों के बीजों और नए तरीकों से खेती करने में सहायता प्रदान की गयी। भूमि संरक्षण का काम 52 हेक्टर भूमि में किया गया जिससे 165 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत 224 व्यक्तियों को कुएं खोदने, पम्पसेट लगाने और पुराने कुओं की मरम्मत के लिए सहायता दी गयी।

लघु कृषक विकास योजना के अंतर्गत वाराणसी के पांच विकास खंडों:डीघ, सुरियावां, ओराई, ज्ञानपुर और भदोही को लिया गया है और अब तक 50,376 लघु कृषकों तथा कृषक मजदूरों का पंजीकरण हो चुका है। अभिकरण का लक्ष्य कृषि और पशुपालन कार्यक्रम को प्राथमिकता देकर इन कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना है।

उड़ीसा

नलकूप

लघु कृषक विकास एजेन्सियों और सीमान्त किसान और खेतिहर मजदूर परियोजनाओं द्वारा आयोजित कुंआ-खुदाई

योजना के अंतर्गत उड़ीसा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नवम्बर, 1976 के अंत तक राज्य में 60,416 कुएं खोदे गए और नलकूप लगाए गए। इनमें से 1,187 को बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके बाद गजांम जिले का स्थान है जहां 34,268 कुएं खोदे गए या नलकूप लगाए गए तथा तीसरे स्थान पर ढ़ेकानाल जिला है जहां 11,812 कुएं खोदे गए या नलकूप लगाए गए।

परियोजनाओं के लिए ऋण

उड़ीसा में पिछले साल नवम्बर के अंत तक लघु किसान विकास एजेंसी और कृषि मजदूर परियोजनाओं के अंतर्गत 15 करोड़ 16 लाख 63 हजार रुपए का ऋण दिया गया। इसमें से सहकारी संस्थाओं द्वारा 12 करोड़ 97 लाख 63 हजार रुपए का ऋण और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 2 करोड़ 19 लाख रुपए का ऋण दिया गया। सबसे अधिक गंजाम जिले के लोगों ने ऋण प्राप्त किया। इसके बाद ढ़ेकानाल जिले को ऋण दिया गया। तीसरे स्थान पर पुरी है जिसे एक करोड़ 97 लाख 60 हजार रुपए का ऋण दिया गया।

गुजरात

गंदी बस्ती हटाने का कार्यक्रम

गुजरात में गंदी बस्ती सफाई से सम्बन्धित बोर्ड ने राज्य के सात शहरों में 30,000 आवास इकाइयां बनाने का अस्थायी कार्यक्रम तैयार किया है। इन पर अगले पांच वर्षों में 12 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। ये शहर हैं– अहमदाबाद, नादियाड, वाडोदारा, सूरत, जाम नगर, भावनगर और राजकोट। इस बोर्ड की स्थापना गुजरात सरकार ने 1973 में की थी।

1972 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इन शहरों में 5.18 लाख से अधिक लोग गन्दी बस्तियों में रहते थे। बोर्ड आजकल 1,100 से अधिक मकान बनाने के काम में लगा हुआ है जिस पर 73 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी। इससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 6,000 लोगों को लाभ पहुंचेगा।

आवास और शहरी विकास निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के अन्तर्गत नादियाड में घर बनाने का काम चल रहा है।

सूरत के पास रादेर में 160 घर और आठ दुकानें बनाने की योजना को संशोधित किया जा रहा है। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य गन्दी बस्तियों को बढ़ने से रोकना और इस तरह के क्षेत्रों में सुधार, सफाई और फिर से विकास के कार्यक्रम को हाथ में लेना है।

मध्यप्रदेश

छोटे किसानों की मदद

रायपुर जिले के चिकली गांव के हरिदास पहले मजदूर थे और दूसरों के खेतों पर मजदूरी कर अपनी गुजर-बसर कर लेते थे। लेकिन अब हरिदास एक किसान है। हरिदास के जीवन में यह परिवर्तन बैंक द्वारा कृषि कार्यों के लिए मिले ऋण के जरिए आया। उन्हें ग्रामसेवक ने बताया कि छोटे किसानों को रियायती 'ब्याज दर' पर बैंक से ऋण मिलता है और उन्हें सुझाव दिया कि बैंक से ऋण लेकर वह अपने खेत में कुआं और पम्प लगवाए। हरिदास ने बैंक से 6,000 रुपया ऋण लिया और अपने खेत में कुएं और पम्प की व्यवस्था की। सिंचाई की सुविधा हो जाने से उनके खेत में अब पहले से बहुत अधिक पैदावार हो रही है और धान काटने के बाद अब वे गेहूं की भी फसल ले रहे हैं। उन्हें हर साल लगभग 8 क्विंटल गेहूं भी रबी की फसल में मिल जाता है। इसके अलावा, हरिदास अपनी जरुरत की साग-भाजी भी उगा लेते हैं।

अब हरिदास के जीवन में पहले से बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। पहले वे किराए के मकान में रहते थे लेकिन अब वे खुद का मकान बनवा रहे हैं। उनके पास दो बैल हैं। अपने कर्ज की किस्त भी वह नियमित रुप से अदा करते हैं। बैंक ने एक तिहाई ऋण की उन्हें छूट दे दी है। हरिदास अपने सुखद भविष्य के लिए पूर्ण आशान्वित है।

हरियाणा

कमजोर वर्गों को राहत

चंडीगढ़ से प्राप्त एक सूचना के अनुसार हरियाणा में आर्थिक कार्यक्रम का अनुसरण करते हुए गरीब ग्रामीण जनता को साहूकारों के शिकंजों से मुक्त कराने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। एक कदम यह है कि उन्हे आसान किस्तों पर ऋण दिए जा रहे हैं।

हरियाणा कृषि ऋण ग्रस्तता राहत अधिनियम, 1975 के अंतर्गत गांवों में वसूली पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई थी। सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि वह इस अवधि को दो वर्ष तक बढ़ा भी सकती है। इसके अतिरिक्त, समाज के कमजोर वर्गों को उचित ब्याज दर पर ऋण देने की दूसरी योजनाएं भी शुरु की गई हैं।

जुलाई से दिसम्बर, 1976 की अवधि में 2168 पुनर्गठित सहकारी समितियों ने थोड़ी मियाद में 2,683.27 लाख रुपए के ऋण दिए। इनमें से 825.25 लाख रुपए के ऋण छोटे और सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों को दिए गए हैं।

दस्तकारों की मदद

हरियाणा में ग्रामीण दस्तकारों को भी ऋण देने की एक योजना चल रही है। इसके अंतर्गत दिसम्बर 1976 तक 29.62 लाख रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। जनवरी 1977 के अंत तक 1,838 बुनकरों को 35.71 लाख रुपए के ऋण दिए गए।

दिसम्बर 1976 तक छह किसान सेवा समितियों ने अल्पावधि और मध्यम अवधि के 55.27 लाख रुपए तथा राज्य के दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 5,253 छोटे और सीमान्त किसानों, खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण दस्तकारों को 67.74 लाख रुपए के ऋण दिए हैं। ★

तेजी से बढ़ती हुई हमारी अर्थ व्यवस्था

भारत की अर्थ व्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। मुद्रा-स्फीति पर रोक लग गयी और वह बढ़ने के बजाय घटने लगी है। मूल्यों में स्थिरता आ गई है।

* अनाज का उत्पादन 11 करोड़ 80 लाख मी० टन के शिखर तक पहुंच चुका है; इस समय देश के पास लगभग 1 करोड़ 80 लाख टन अनाज का भण्डार है।

* चालू वित्त वर्ष के प्रारम्भिक छः महीनों में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर लगभग 12 प्रतिशत थी जबकि गत वर्ष इसी अवधि में यह दर केवल 3 प्रतिशत थी। अनुमान है कि 1976-77 में औद्योगिक उत्पादन पिछले वर्ष से लगभग 10 प्रतिशत अधिक होगा।

* अप्रैल — सितम्बर, 1975 के मुकाबले 1976 की इसी अवधि के दौरान बिजली के उत्पादन में 16.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

* भारतीय निर्यात में अप्रैल-अक्तूबर, 1976 के दौरान 33.9 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि हुई है। इसी अवधि में आयात में 90 प्रतिशत की कमी हुई है।

* विदेशी ऋणों के भुगतान में काफी सुधार हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार विदेशी मुद्रा की राशि 2,500 करोड़ रुपये की सीमा से बढ़ी है।

* सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन लगभग 12 प्रतिशत हुआ है।

* रुपये की क्रय शक्ति में 17 से 21 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है।

इन उपलब्धियों से यह साफ जाहिर होता है कि हमारी जनता और सरकार इस विशाल और गतिशील राष्ट्र के समस्त साधनों का पूरा फायदा उठाने के लिए कृतसंकल्प है।

डी ए वी पी 76/886

नई शक्ति का स्रोत : युवाजगत्

एस० शिव संकरन पिल्ले

स्वयंसेवक जिन्होंने हरिजनों के लिए मकान बनाया

श्रीकृष्ण कालेज, गुरूवायुर, केरल, के 40 छात्रों ने 10 दिन के अन्दर 3000 रुपये से कम की राशि से अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। उन्होंने अपने परिश्रम से एक गरीब मजदूर के लिए एक मकान बनाया, 800 मीटर लम्बी एक सड़क को चौड़ा किया तथा उसकी मरम्मत की जो कालेज से गरीब लोगों की बस्ती तक जाती है। वहां उन्होंने एक शिविर लगाया जहां दवाइयां मुफ्त दी गईं और गरीब परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण किया और ग्रामीण लोगों के शिक्षार्थ एक प्रदर्शनी लगाई। यह, राज्य के विभिन्न कालेजों में लगाए, शिविरों की कहानियों में से एक है।

नये राष्ट्रीय अनुशासन से पूरे राज्य में इस वर्ष के शिविरों ने एक नया जीवनदिया है।

क्षेत्रिय प्रचार अधिकारी
त्रिचूर (केरल)

कर्ज से मुक्ति एवं जमीन मिलने की खुशी

रायपुर जिले की एक तहसील है बिन्द्रानवागढ़ जहां 80 प्रतिशत आदिवासी हैं। इसी तहसील में छुरा ब्लाक में लगभग 23 किलोमीटर दूर जंगल में एक आदिवासी ग्राम है लेकिन आर्थिक कार्यक्रम द्वारा आई प्रगति की लहर से यह सुदूरवर्ती गांव भी अछूता नहीं रहा। नये कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से सबसे ज्यादा खुशी हुई परसुली गांव में अनंतराम को। अनंराम एक गोंड आदिवासी है। तीन साल पहले अनंतराम ने एक साहूकार से 771 रुपये कर्ज लिए। कर्ज को चुका न सकने के कारण साहूकार ने उसकी 9 एकड़ जमीन में से 2 एकड़ जमीन 5 साल के लिए बंधक ले ली। लेकिन साहूकार को क्या पता था कि उसे बीच में ही जमीन पर से कब्जा छोड़ना पड़ेगा। जसे ही आर्थिक कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण मुक्ति की घोषणा हुई और उस की लहर परसुली ग्राम तक भी पहुंची तो अनंतराम को उसके कर्जे से छुटकारा मिला और उसने राहत की सांस ली। अपनी पैतृक जमीन पर इस वर्ष पुनः हल चलाने का सौभाग्य पाकर अनंतराम की खुशी का पारावार न रहा।

● अनंतराम का एक बड़ा परिवार है जिसमें 11 बच्चे और स्वयं पति-पत्नी। देश में आई नई चेतना से अनंतराम भी अनुप्राणित है। उसको यह अफसोस है कि परिवार नियोजन अभियान की शुरूआत पहले क्यों नहीं हुई जबकि केवल उसके 3 बच्चे थे। इस क्षत्र में परिवार नियोजन अभियान के अंतर्गत नसबंदी कराने वाला अनंतराम पहला आदिवासी है। लेकिन देर बहुत हो चुकी थी क्योंकि अनंतराम पहले ही एक क्रिकेट टीम तैयार कर चुका था। खैर और कोई बात नहीं 'देर आये दुरूस्त आये'। ★

Regd. No. D(D)/98

पश्चिम दीनाजपुर में भूमिहीनों के लिए आवास

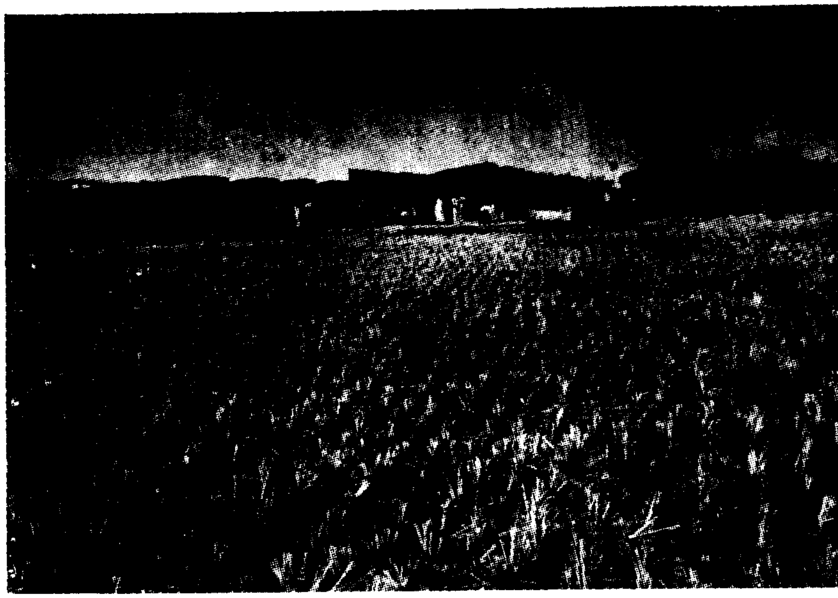

पश्चिम बंगाल के जिला पश्चिम दीनाजपुर में 26,396 गृह विहीन व्यक्तियों का पता लगाया गया है। जिला प्रशासन ने भी 1640 व्यक्तियों को मकान उपलब्ध किए हैं। प्रत्येक मकान के लिए स्वीकृत राशि 500 रुपये थी। शेष राशि जिला प्रशासन द्वारा सुलभ की गई।

1. अनेक धर्म और एक राष्ट्र—हमें इस पर गर्व है।
2. परिवार हो या देश हो, महान का आधार—एकता।
3. भारत धर्मनिरपेक्ष है—हम इसका आदर्श बनें।
4. भारत हमारा देश है—आइए इसे मजबूत और समृद्ध बनाएं।
5. बड़ा होना अच्छा है—लेकिन बडप्पन उससे भी अच्छा है।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-1 द्वारा प्रकाशित और
केसर क्यारी इलैक्ट्रिक प्रेस, फरीदाबाद-121005 में मुद्रित।